

बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की लगाम...

माही की गुंज | संजय भटेवरा

झाबुआ। देश भर में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मामलों के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले बढ़ गए हैं। त्वरित न्याय की दिशा में सरकार के इस कदम को व्यापक जनसमर्थन भी मिला है लेकिन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा है कि, महज आरोपी होने पर उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। यहां तक कि, आरोपी दोषी साबित हो भी जाता है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। हमारे पहले के रूख के बावजूद हमें सरकार के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं है। हम इस मुद्दे पर दिशा निर्देश जारी करेंगे जिसका पालन सभी राज्यों को करना होगा, सभी पक्ष सुझाव दें।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी जमीयत उलेमा ए हिंद पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात व कुछ अन्य संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

इस याचिका को लेकर आम जनता की

भी मिश्रित प्रतिक्रिया है। कोई इसे सही मानता है तो कोई गलत लेकिन सभी लोगों की आम राय है कि, अपराधी केवल अपराधी होता है अगर कोर्ट में उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए। जहां तक मकान पर बुलडोजर चलाने का सवाल है तो यह अधिकार कोर्ट के पास ही रहना चाहिए कि, अपराधी को क्या सजा दी जाए। ज्यादातर मामलों में किसी प्रकार का अपराध होने के बाद ही स्थानीय प्रशासन को उसका मकान अवैध निर्माण नजर आता है पहले क्यों नहीं...? और अगर अपराध घटित होने के बाद संबंधित को अवैध निर्माण कर नोटिस स्थानीय प्रशासन द्वारा दिया जाता है तो निर्माण की स्वीकृति देने वाले और



निर्माण के समय अनदेखी करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। यही नहीं देश और प्रदेश में अवैध निर्माण को तत्काल होने के बाद ही स्थानीय प्रशासन को उसका मकान अवैध निर्माण नजर आता है पहले क्यों नहीं...? और अगर अपराध घटित होने के बाद संबंधित को अवैध निर्माण कर नोटिस स्थानीय प्रशासन द्वारा दिया जाता है तो निर्माण की स्वीकृति देने वाले और

के आरोपी होने पर भी मकान मालिक के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। क्या यह सही है...? कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां बेटे के आरोपी होने पर उसके पिता का चिन्हित किया जाकर उन पर कार्यवाही की जाना चाहिए। ताकि कोई भी अपराध घटित होने के बाद कोई भी मकान अवैध निर्माण ना रहे। अपराधियों के प्रति सख्त रवैया रहना ही चाहिए लेकिन कोर्ट का कहना भी सही है कि, एक व्यक्ति के अपराध की सजा उसके

परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट में कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जब किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने पर पूरा परिवार बेघर हो गया है। कोर्ट का कहना है कि, कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां किराएदार के आरोपी होने पर भी मकान मालिक के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। क्या यह सही है...? कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां बेटे के आरोपी होने पर उसके पिता का चिन्हित किया जाकर उन पर कार्यवाही की जाना चाहिए। ताकि कोई भी अपराध घटित होने के बाद कोई भी मकान अवैध निर्माण ना रहे। अपराधियों के प्रति सख्त रवैया रहना ही चाहिए लेकिन कोर्ट का कहना भी सही है कि, एक व्यक्ति के अपराध की सजा उसके

परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट में कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जब किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने पर पूरा परिवार बेघर हो गया है। कोर्ट का कहना है कि, कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां किराएदार के आरोपी होने पर भी मकान मालिक के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। क्या यह सही है...? कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां बेटे के आरोपी होने पर उसके पिता का चिन्हित किया जाकर उन पर कार्यवाही की जाना चाहिए। ताकि कोई भी अपराध घटित होने के बाद कोई भी मकान अवैध निर्माण ना रहे। अपराधियों के प्रति सख्त रवैया रहना ही चाहिए लेकिन कोर्ट का कहना भी सही है कि, एक व्यक्ति के अपराध की सजा उसके

कि, अपराधियों के प्रति सहानुभूति नहीं रखी जानी चाहिए। अपराधियों के मन में कानून का भय होना ही चाहिए ताकि वह अपराध करने के पूर्व सौ बार सोचे तथा अपराधियों के प्रति कार्यवाही से समाज में एक सख्त संदेश जाना चाहिए कि अपराधियों के प्रति देश में कड़े कानून बने हैं और कोई भी अपराधी अपराध करने के पूर्व यह अवश्य सोचे की पूर्व में इस प्रकार के अपराध पर देश में केंसी सख्त सजा मिलती है। अगर वो इस प्रकार का अपराध करता है तो उसका हथ क्या होगा? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है और अन्य याचिका करता संस्थाओं ने अपराधियों के परिवार का पक्ष रखा है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होगा। लेकिन अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखना भी अपराध को बढ़ावा देने के समान ही है और देरी से मिला न्याय भी अन्याय के समान ही है। न्याय व्यवस्था, मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर के अलग श्रेष्ठ व जुमन श्रेष्ठ कि तरह होनी चाहिए। जहां उच्च-नीच, जात-बात, यारी-दोस्ती व भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर पूरी तरह निष्पक्ष व भय रहित होना चाहिए, कोई भी अपराधी बच ना पाए और कोई भी निर्दोष फंस ना पाए।

उपराज्यपाल की शक्तियाँ बढ़ाई

नई दिल्ली, एंजेंसी।

दिल्ली के एमसीडी में 12 वार्ड समितियों के चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की शक्तियाँ बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत, उपराज्यपाल को अब दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग और अन्य प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोगों के गठन और उनके सदस्यों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार सौंपा गया है।



गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, राष्ट्रपति ने संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन करने और उनके सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी है। इस अधिसूचना के बाद, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी वार्ड समिति चुनावों के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की है।

पहले, मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने से इंकार कर दिया था, उनका कहना था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इस अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देती। अब उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि अस्थाय, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्यों के पदों के लिए चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्देश के तहत, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहते हुए और अगले आदेश तक, उक्त अधिनियम की धारा 45डी के खंड (क) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

यूएई से हलचल: शेख हसीना को जल्द तलाशना होगा नया ठिकाना

नई दिल्ली, एंजेंसी।

हिंसा और तख्तापलट के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने देश से भागना पड़ा था और वे इस समय भारत में शरण में हैं। लेकिन अब उन्हें जल्द ही नया ठिकाना ढूंढना पड़ सकता है। इसका कारण है बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना को वापस भेजने की बढ़ती मांग। हालांकि, इस संबंध में भारत सरकार के समक्ष कोई आधिकारिक मांग नहीं आई है।

हाल ही में, यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अपने देश में विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के मामले में दोषी ठहराए गए 57 बांग्लादेशी नागरिकों को माफ कर दिया है। ये सभी जेल की सजा भुगत चुके थे। इस फैसले की जानकारी पिछले सप्ताह बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद युनुस के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद मिली।

शेख हसीना वर्तमान में भारत में हैं, और उनके लिए किसी अन्य देश में शरण लेना अब इतना आसान नहीं रह गया है। युनुस सरकार ने उनका डिप्लोमैटिक वीजा रद्द कर दिया है। पहले शेख हसीना के यूएई जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन यूएई ने युनुस सरकार की मांग मानकर जो निर्णय लिया है, उससे यूएई में शरण लेने का

मार्ग भी बंद हो गया है। सूत्रों के अनुसार, भारत ने इस मुद्दे पर यूएई से बातचीत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।

भारत के लिए शेख हसीना को लंबे समय तक शरण देना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्योंकि इससे बांग्लादेश के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश ने अभी तक शेख हसीना को वापसी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है, लेकिन उनकी सरकार इस दिशा में सकारित रूप से काम कर रही है। अंतरिम विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि, यदि अदालत निर्देश देती है कि शेख हसीना को किसी भी तरीके से बांग्लादेश वापस लाया जाए, तो वे इसके लिए प्रयास करेंगे।

बांग्लादेश ने शेख हसीना और उनके रिश्तेदारों के राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिए हैं। शेख हसीना 6 अगस्त को बांग्लादेश से दिल्ली आई थीं और तब से वे दिल्ली में रह रही हैं। पहले माना जा रहा था कि वे किसी अन्य देश में शरण ले सकती हैं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे अन्य किसी स्थान पर जाने की तैयारी कर रही हैं। इस स्थिति में, यह देखा जा सकता है कि भारत, शेख हसीना के मामले में आगे क्या कदम उठाता है।



बाढ़ पीड़ितों के लिए एक महीने की तनख्वाह की दान

नई दिल्ली (इंफोएम्स)।

केरल के वायनाड में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए अपनी एक महीने की तनख्वाह दान कर दी है। इस जानकारी को साझा करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और देशवासियों से अपील की कि, वे भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएँ।

राहुल गांधी पूर्व में वायनाड से सांसद रह चुके हैं और हाल ही में लोकसभा चुनाव में रायवरेली और वायनाड दोनों से जीते थे। हालांकि, वायनाड की सीट पर सदस्यता लेने के दौरान उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया था। अब इस सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा।

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, वायनाड में हमारे भाई-बहनों ने एक बड़ी त्रासदी का सामना किया है और उन्हें हमारे समर्थन की जरूरत है ताकि वे अपने नुकसान से उबर सकें। मैंने अपनी एक महीने की तनख्वाह बाढ़ पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए दान कर दी है। मैं सभी भारतीयों से गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके मदद करें, क्योंकि हर छोटी मदद मायने रखती है। राहुल गांधी ने राहत प्रयासों में विभागों के बीच समन्वय की कमी, मुआवजे की कमी, लोगों की आजीविका का नुकसान और पर्यटन पर असर जैसी समस्याओं पर भी ध्यान देने की बात की।

सिंगापुर में पीएम मोदी का स्वागत



सिंगापुर, एंजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बुनेई की यात्रा के बाद दो दिवसीय दौरे पर सिंगापुर पहुंचे। यहां भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय का उत्साह देखकर पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया और लोगों द्वारा भेंट किए गए भगवा रंग के गमछे को स्वीकार किया। सिंगापुर में पीएम मोदी ठहरे होटल के बाहर भी भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए एकत्रित थे।

स्वागत समारोह के दौरान लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली और एक महिला ने उन्हें राखी बांधी। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति धर्मन शनमुगलम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी सिंगापुर के कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बुनेई के सुल्तान

बोलिक्या के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद भारत और बुनेई के बीच कई एमओयू साइन किए गए और बंदर सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने के फैसले का स्वागत किया गया।

बुनेई के सुल्तान ने पीएम मोदी के सम्मान में इस्ताना नुरुल इमान, दुनिया के सबसे बड़े महल में लंच भी आयोजित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने बुनेई में मिले गर्मजोशी से स्वागत के लिए शाही परिवार का धन्यवाद किया और इसे भारतीय पीएम की बुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि बुनेई के साथ भारत के सदियों पुराने संबंधों की गहराई को इस यात्रा ने और स्पष्ट किया है। पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक विजन में बुनेई की अहम भूमिका की सराहना की और कहा कि भारत हमेशा आसियान देशों में शांति को प्राथमिकता देता है।

केजरीवाल की पत्नि का सोशल मीडिया पोस्ट बना विवाद का कारण

नई दिल्ली (इंफोएम्स)।

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अ र वि द केजरीवाल के करीबी सहयोगी विभव कुमार को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। सुनीता ने एक हंसने वाली इमोजी के साथ पोस्ट किया, सुकून भरा दिन।

सुनीता के इस पोस्ट पर स्वाति मालीवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वाति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री की पत्नी को सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को जमानत मिल गई है जिसने उनके घर में मेरे साथ मारपीट की और अभद्रता की। यह एक साफ संदेश है कि, महिलाएं असुरक्षित हैं, उन पर हिंसा हो सकती है, और हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब देश के सबसे महंगे वकीलों की मदद से आरोपी को बचाया जाता है। प्रभु सब देख रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय होगा।



पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी-रेप बिल पास

कोलकाता, एंजेंसी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को विशेष सत्र में ममता बनर्जी की सरकार द्वारा पेश किए गए एंटी-रेप बिल को पारित कर दिया। इस विधेयक को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल अपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया गया है। इस नए कानून के तहत, पश्चिम बंगाल में बलात्कार के दोषियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा दी जाएगी और मामले की जांच 36 दिन में पूरी की जाएगी। यह विधेयक आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले के बाद लाया गया है जिसने व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया था। अब सवाल उठता है कि, क्या यह विधेयक महिला सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम साबित होगा।

वर्तमान में, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही कानून में मौजूद है। हालांकि, पिछले 20 वर्षों में रेप और मर्डर के मामलों में केवल पांच दोषियों को ही फांसी की सजा मिली है। भारतीय न्याय व्यवस्था में मौत की सजा को रेपेरेस्ट ऑफ द रेप मामलों के लिए रखा गया है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में कहा गया है। नए बिल में रेप के मामलों



की सुनवाई फास्ट ट्रेक अदालतों में की जाएगी, लेकिन 10 दिन में फांसी की सजा देने की संभावना को लेकर संदेह जताया जा रहा है।

2012 के निरभया कांड के बाद भारत में रेप और यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। वर्तमान में, बलात्कार और मर्डर के मामलों

में मौत की सजा का प्रावधान है, लेकिन इस सजा को लागू करने में अक्सर लंबा समय लगता है। हाल ही में दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में सेशन कोर्ट ने 120 मामलों में फांसी की सजा सुनाई, जिनमें से 64 मामले रेप और मर्डर से जुड़े थे।

पिछले दो दशकों में, केवल पांच दोषियों को फांसी की सजा मिली है। इनमें 1990 में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुर्कर्म और हत्या के दोषी धनंजय चटर्जी शामिल हैं, और 2012 के निरभया कांड के चार दोषी भी शामिल हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 65 के तहत, 12 साल से कम उम्र की बच्चों के साथ दुर्कर्म के दोषी को उम्रकैद या मौत की सजा मिल सकती है। गैररेप के मामलों में भी सजा का प्रावधान है। 2019 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन कर मौत की सजा का प्रावधान जोड़ा गया था।

विधानसभा में पास किए गए इस नए बिल का उद्देश्य तेजी से न्याय सुनिश्चित करना और यौन अपराधों के मामलों में सजा की प्रक्रिया को तेज करना है। हालांकि, इस कानून को लागू करना और इसका प्रभावी कार्यान्वयन कितना सफल रहेगा, यह देखने की बात होगी।

प्रशासन की तमाम कवायदों के बाद भी क्यों हो जाते हैं हादसे...?

नदी की बाढ़ में बहने से होने वाली मौतें खड़े कर रही सवाल

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजुजमील मांसुरी

वैसे तो हर साल बारिश के पहले प्रशासन बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करता है, हेलप लाइन नंबर जारी करता है। दुर्घटना क्षेत्र में निगरानी के लिए पुलिस तैनात की जाती है, बावजूद इसके हर साल कोई न कोई दुर्घटना बारिश के कारण सामने आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि झाबुआ जिले में बाढ़ जैसी स्थिति तो कभी नहीं बनी लेकिन जिले की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी और पथरीली होने से यहां की नदियों में अचानक ही बारिश का पानी आ जाता है। उपरी बारिश के चलते भी अचानक ही नदियों के जल स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। यही कारण है कि, जिले में हर साल कहीं न कहीं से यह समाचार सुनने को मिल ही जाता है कि, अचानक नदी में आए पानी में लोग बह गए और उनकी मौत हो गई। मगर कहीं भी यह देखने को नहीं मिल पाता की प्रशासन की मुरतैदी से पानी में बहे लोगों को बचाया गया हो। जबकि वर्षा ऋतु के पहले से ही प्रशासन अपनी डपली पीटना शुरू कर देता है। प्रशासन की यह तैयारियां प्रमुख रूप से अखाबारों की सुविधियां भी बनती हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए जाते हैं। हेलपलाइन नंबर जारी किए जाते हैं, लेकिन इसका फायदा आज तक कहीं देखने को नहीं मिल पाया है। हां यह जरूर है कि, दुर्घटना के बाद प्रशासन साप निकलने के बाद लाठी पीटना नजर आता है। नदी, नालों में बहे लोगों को जीवित दूढ़ने के असफल प्रयास किए जाते हैं। इस कार्य के लिए गोता खोरों की टीम बाहर से बुलाई जाती है। मगर नदियों और नालों में बहे हुए लोगों के शव ही निकाले जाते रहे हैं।

अब सवाल यह उठता है कि, आखिर प्रशासन की तमाम कवायदों के बावजूद भी इस तरह की दुर्घटनाएं कैसे हो जाती हैं...? इस तरह की तमाम दुर्घटनाएं जिला प्रशासन की पोल ही खोलती नजर आती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वर्षा ऋतु में हमेशा मौसम विभाग बारिश का पूर्वानुमान लगाता जारी करता है। आने वाले दिनों में किस तरह की बारिश होगी और मौसम किस तरह का बना रहेगा। यह सारे आंकड़े मौसम विभाग पहले ही जारी कर देता है। बावजूद इसके प्रशासन, मौसम विभाग के इन पूर्वानुमान और आंकड़ों को हमेशा से ही नजर अंदाज करता आया है। हालांकि मौसम विभाग के यह आंकड़े बिल्कुल सटीक तो नहीं होते लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि, प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। क्योंकि अधिकांश समय मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सटीक और सही भी साबित होता है। बावजूद इसके अगर प्रशासन अपनी तैयारी नहीं करता है तो नदी, नालों में बहने वाले लोगों की मौत का सीधा जिम्मेदार प्रशासन ही है। वैसे तो प्रशासन को पूरी वर्षा ऋतु में अलर्ट पर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं होता दिखाई नहीं देता है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश की भी सूचना मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया था। बावजूद इसके प्रशासन मौसम विभाग के इस रेड अलर्ट को गंभीरता से लेता दिखाई नहीं दिया। जिले में कई जगहों पर इस तरह के मंजर देखे गए कि, नदियों में पुल या पुलिया के



उपर से पानी का बहाव तेज होने के बावजूद भी लोग उसे पार करते देखे गए। कई जगहों पर ऐसे हालात होने के बावजूद भी प्रशासन का कोई नुमाइंदा, पुलिस या चौकीदार स्पॉट पर नजर नहीं आए। ऐसे कई मार्गों का आवागमन प्रशासन द्वारा अवरूद्ध नहीं किया गया। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसा कोई हादसा ना हो लेकिन इसके लिए प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा। लोगों को जल त्रासदी से बचाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जनजागृति अभियान चलाना पड़ेगा। लोगों को सावधानी बरतने और गंभीर हालात से निपटने के लिए समझाव देना पड़ेगा। तब कहीं जाकर प्रशासन इस तरह के हादसों पर लगाम लगा पाएगा। सोमवार को इस तरह की एक घटना सामने आई जिसमें नदी का बहाव तेज होने के कारण पांच लोग बह गए थे। इनमें से तीन लोगों ने तैर कर अपनी जान बचा ली, लेकिन दो नाबालिग बालिकाएं नदी के बहाव में बह गईं। जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया और दूसरी बालिका को तलाश किया जा रहा है। जिले में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का अलर्ट जारी

किया गया था। सोमवार को जिले में तेज बारिश का दौर लगातार जारी था। ऐसे में मेघनगर से अपने गांव जा रहे पांच ग्रामीण डेवर बड़ी से गुजरने वाली अनास नदी पर बने बांध को पैदल ही पार कर रहे थे। अचानक नदी में पानी का बहाव बढ़ गया और इस तेज बहाव में पांचों लोग बह गए। तीन पुरुष तो इस हादसे में तैर कर बच गए, लेकिन दो बालिकाएं पानी के तेज बहाव में बह गईं। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मंगलवार करीब दोपहर 12 बजे एक बालिका का शव अनास नदी अंतरवेलिया बांध के समीप मिला। वहीं दूसरी बालिका का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि, सोमवार रात को हुई भारी बारिश के कारण क्षेत्र के कई मार्ग अवरूद्ध हो गए थे। जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद मंगलवार दोपहर कलेक्टर नेह मीना मौके पर पहुंची। यहां दोनों बालिकाओं के स्वजनों से उन्होंने मुलाकात की। बालिकाओं के परिजनों को रूकसात मदद से 20-20 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए। मंगलवार को ग्राम पिथनपुर में भी एक बालक के रफ्त से बहाव में बह जाने के समाचार है। जिसकी तलाश जारी है। सवाल यह उठता है कि, आखिर ऐसे हादसे होते क्यों हैं? जबकि प्रशासन इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कदम उठाता है। या फिर प्रशासन की वर्षा ऋतु को लेकर की जाने वाली तमाम तैयारियां कागजी घोड़े हैं। क्योंकि सोमवार

को हुए इस हादसे से तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। अनास नदी पर बने जिस बांध पर यह घटना हुई, क्या वह बांध प्रशासन की निगरानी में नहीं था? मौसम विभाग का बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी होने के बावजूद बांध की निगरानी क्यों नहीं रखी गई? बांध के उपर से पानी जाने के बावजूद भी लोग इसे किस तरह से पार कर रहे थे? जिले की प्रमुख नदी पर बना यह बांध जिस भी विभाग ने बनाया था क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि तेज बारिश के दौरान बांध की निगरानी की जाए? जिस पंचायत में यह बांध आता है क्या वहां के जिम्मेदारों का यह कर्तव्य नहीं था कि, बारिश के दौरान बांध की निगरानी हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डेवर बड़ी में अनास नदी पर बने इस बांध का कोई मायबाप ना हो? या फिर जिला प्रशासन ने वर्षा ऋतु को देखते हुए कोई तैयारी नहीं की और सिर्फ कागजी घोड़े ही दौड़ाए। क्योंकि अगर प्रशासन ने जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई या सावधानी बरती होती तो इस बांध के जिम्मेदारों या पंचायत स्तर के जिम्मेदारों को जिले से कोई तो दिशा निर्देश दिए ही गए होते। और अगर जिला प्रशासन ने इस तरह के निर्देश दिए थे तो फिर इस हादसे की जिम्मेदारी तय करना बहुत ही जरूरी है। मगर स्थिति को देखते हुए तो यही लग रहा है कि, प्रशासन इस तरह के हादसों को लेकर कतई गंभीर नहीं है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जारी गाईड लाइन या दिशा-निर्देश शायद किसी विभाग या पंचायत स्तर तक पहुंचा ही नहीं। अगर आलम यही रहा तो हो सकता है कि बचे वर्षाकाल में और भी हादसे जिले में हो जाए। क्योंकि मौसम विभाग ने अभी और वर्षा का दौर चलने की जानकारी दी है।

छात्रों को लेकर जा रही स्कूली बस पलटी



माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम के बिलपांक के पास मंगलवार सुबह निजी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। एक बच्चे को मामूली चोट आई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रैन की मदद से बस को सीधा किया और बच्चों को दूसरी बस से रवाना किया। घटना मंगलवार सुबह करीब 8.30 बजे की है। बिलपांक के न्यू किड्स पब्लिक की बस जमुनिया के कच्चे रास्ते से होकर निकल रही थी। बस में 10 से 15 स्टूडेंट सवार थे। रोड सिंगल पट्टी थी। रोड के किनारे से बस चालक ने बस को निकालने की कोशिश। बारिश के कारण जगह गीली व कच्ची होने के कारण बस का आगे का पहिया नीचे की तरफ धंसा। रोड से उतरते हुए बस पलटी खा गई। बस पलटते ही बच्चे घबरा गए और चीख पुकार मच गई। जैसे इस बात की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को लगी तो सभी मौके पर पहुंचे और पहले बच्चों को सुरक्षित निकाला। सभी बच्चे आसपास के गांव के थे उनके पैरेंट्स भी पहुंच गए। एक छात्रा का मामूली चोट होने पर बिलपांक के स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर गए। प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्कूल संचालक द्वारा दूसरी बस भेजी गई। ग्रामीणों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया। बस की हालात काफी खराब होने की भी बात कही जा रही है।

श्री राम मंदिर पर भागतव कथा का शुभारंभ

माही की गूंज भामला।



ग्राम भामल में श्री राम मंदिर राजपूत समाज द्वारा सार्वजनिक भागतव कथा का आयोजन रखा गया है। जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण कथा का श्रवण करने राम मंदिर पर पहुंच रहे हैं। प्रथम दिवस के यजमान रामसिंह पालरा रहे हैं जिसमें देव स्थापना, पोथी पूजन व व्यास पूजन करके कथा आरंभ दिवस का लाभ लिया गया है। कथा वाचक पंडित श्री भागतवी प्रसाद अग्निहोत्री बामनिया ने प्रथम दिवस की कथा में बताया कि, भागतव मृत्यु को सुधरता है, एक प्रेत भागतव कथा के द्वारा सदगति को प्राप्त हुआ है, जो जीवित है वे यदि कथा सुनकर कथा को जीवन में उतारते हैं तो कथा अवश्य कल्याण करती है। कथा का समापन 9 सितंबर को होगा।

सैकड़ों मरीजों के लिए कम पड़ता है अस्पताल का स्टॉफ



माही की गूंज,
बामनिया। गौरव मंडारी

स्थानिय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमेशा मरीजों का भारी जमावड़ा लग रहा है, आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं लेकिन स्टॉफ की कमी के चलते मरीजों को परेशान होना पड़ता है। वहीं कई बार विभागीय कार्यों के चलते डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को भारी फजीयत हो जाती है। बामनिया के आसपास बड़ा क्षेत्र लगता है और रेलवे स्टेशन होने के कारण हमेशा किसी भी विषय

परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। ग्राम सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करने की मांग कर चुके हैं जिससे अस्पताल में कई सुविधा बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इस सम्बंध में स्वास्थ्य केंद्र बामनिया में पदस्थ डॉक्टर मनीष सोलंकी ने बताया कि, बामनिया के आसपास बड़ा क्षेत्र लगता है और रोज मरीजों की अच्छी-खासी संख्या होती है ऐसे में बामनिया या फिर खवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग

मिलना चाहिये स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिये। पूर्व उपसरपंच व भाजपा नेता अजय जैन ने कहा कि, पूर्व में इस संबन्ध में मांग हमने की थी लेकिन आश्वासन ही मिला, क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक बार फिर केबिनेट मंत्री निर्मला धुरिया और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से इस संबन्ध में मांग की जाएगी। वहीं नगरवासी सुमित अग्रवाल ने बताया कि, थोड़ी सी भी मेडिकल इमरजेंसी की अवस्था में मरीज को पेटलावद सिविल या दाहोद, रतलाम ले जाना पड़ता है। किसी भी गम्भीर

स्थिति से निपटने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा देना चाहिए। ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ सकें। ग्रामीण मोहम्मद अली ने बताया कि, बामनिया-खवासा को मिला कर लगभग 60 से 70 गांव के लोग इलाज के लिए बामनिया आते हैं और किसी प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है न ही जरूरी नॉर्मल मशीनों जिससे ज्यादातर हम मरीज को बहार ले जाने में ही विश्वास रखते हैं। स्थानीय अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाई जानी

चाहिये। डिलेवरी विशेषज्ञ वने सरकारी अस्पताल ग्राम सहित आसपास में मौजूद उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल डिलेवरी विशेषज्ञ अस्पताल बन कर रहे गए हैं। कई गम्भीर बीमारियों के साथ साथ छोटी मोटी व्यवस्था भी अस्पताल में नहीं होने से मरीज और उनके परिजन परेशान होते हैं। एक अस्पताल में सोनोग्राफी, ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन जैसी जरूरी सुविधाओं के साथ दो विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिये।

जीवन के 37 वर्ष किस प्रकार गुजरे यह एक सपना ही है-श्री परमार

माही की गूंज, पेटलावद।

शासकीय सेवा में बेदाग तरीके से अपने जीवन के 37 वर्ष का सफर तय करना हर कर्मचारी के लिए संतोष और बड़ी उत्सुकता भरा रहता है। ऐसा ही जीवनकाल हमारे भानुप्रकाश परमार ने पूर्ण किया। वे शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे पर अपने दायित्वों के प्रति सदा सजग रहे हैं। उक्त बात वेटनरी विभाग के कर्मचारी भानुप्रकाश परमार के सेवानिवृत्ति पर आयोजित विदाई समारोह में डॉ.एसके धुरिया ने कही। परमार का विदाई समारोह एक नौजी गार्डन में समस्त विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और परिवार सहित इष्टमियों की उपस्थिति में मनाया गया। जहां पर विभाग के अधिकारियों ने परमार के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि, यह विभाग ऐसा है जहां मुक पशु पक्षियों की सेवा का अवसर मिलता है और जो कोई भी इसे मन से करता है वह अपना सेवा काल सफल बनाता है। ऐसा ही सेवा कार्य परमार ने अपने जीवन काल में किया।

प्रशस्ति पत्र भेंट किया विभाग के द्वारा परमार का साल श्रौफल सहित प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर साफा पहनाकर सम्मान किया और उनके सेवा कार्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रशस्ति पत्र का वाचन जीवन भट्ट के द्वारा किया गया। इस मौके पर भावुक होते हुए भानुप्रकाश परमार ने कहा कि मेरे पूरे सेवा काल में सभी अधिकारियों



और कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला। जीवन के यह 37 वर्ष किस प्रकार गुजरे यह एक सपना ही है। मैंने अपनी नौकरी भाभरा, रायपुरिया, पेटलावद, करवड और अन्य जगहों पर रह कर पूरी करी। परिवारजनों और इष्टमियों ने भी परमार का फूल मालाओं और स्मृति भेंट देकर सम्मान करते हुए बधाई दी। कार्यक्रम के पश्चात डोल धमाकों के साथ परमार को उनके घर तक छोड़ा गया। इस मौके पर स्टॉफजन उपस्थित रहे।

बड़ा अंबाजी तक पैदल यात्रा पर गए श्रद्धालु

माही की गूंज, सारंगी।

जय मां अंबे पैदल यात्रा संघ द्वारा सारंगी से बड़ा अंबाजी तक पैदल यात्रा निकाली गई यह पैदल यात्रा छठी पैदल यात्रा है। यात्रा पर जाने से पहले सोमवार शाम को एक विशाल चुनरी यात्रा पूरे ग्राम में मां का रथ, डीजे, ताशे, डोल के साथ निकाली गई। मां के रथ एवं मां के भक्तों का पूरे ग्राम में हर घर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इमली चौक कान्हा जी मंदिर परिसर पर बसेर परिवार की ओर से सभी भक्तों को फरियाली खिचड़ी एवं दूध का प्रसाद वितरण किया गया। करीब 100 श्रद्धालु मां का सुंदर सजा हुआ दरवार के रथ को लेकर मां के जय कारो के साथ बड़े ही उत्साह के साथ हाथों से रथ को खींचते हुए पैदल रवाना हुए। महानगर गंवा रास करते हुए चल रही थी। जय मां अंबे पैदल यात्रा संघ के सनचालक मोहनलाल अग्रवाल ने बताया, माता जी की कृपा से यह हमारी छठी यात्रा है, हर वर्ष इस यात्रा में मां के भक्त बढ़ते जा रहे हैं हमारी यह यात्रा 400 किलोमीटर चलकर सारंगी से बड़ा अंबाजी पहुंचेगी। वहां पहुंचने पर माता जी के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी हमारी यात्रा 10 से 12 दिन में पूर्ण हो जाएगी सभी पैदल यात्री भक्तों के लिए जहां-जहां यात्रा का पड़ाव रहेगा वहां पर संघ द्वारा सारी व्यवस्था रहेगी। हम सभी पैदल यात्री मां की शक्ति के सहारे पहुंचकर दर्शन करेंगे।



माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

मैं भी किसान हूँ, मेरा सोयाबीन 6 हजार से 8 हजार रुपए तक बिकना चाहिए। अपने ट्रैक्टर पर इन पेटलारों के साथ अब किसान सड़क पर उतर गया है। किसान सोयाबीन की गिरती कीमतों को लेकर बेहद आक्रोशित हैं और सड़कों पर उतरकर किसान लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार की खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने पिछले 3 दिनों से ट्रैक्टर मार्च निकालकर गांव-गांव घूमकर किसानों को सोयाबीन की उपज के दाम बढ़ाने को लेकर की जा रही मांग पर एकजुट होकर समर्थन देने की अपील की थी। यही वजह रही कि, ट्रैक्टर मार्च के अंतिम दिन मंगलवार को पेटलावद की कृषि उपज मंडी में करीब 5 हजार किसान करीब 500 से अधिक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जेसीबी और बाइक लेकर इकट्ठा हुए और एक विशाल रैली पेटलावद में निकाली गई। यह रैली नगर

के प्रमुख मार्गों से होते हुए कालेज से मुड़कर गांधी चौक पहुंची। इस दौरान किसानों ने रास्ते भर नारेबाजी भी की। गांधी चौक में एसडीएम अनिल कुमार राठौर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। पूरे जिले में अभी तक के इतिहास में किसानों द्वारा किया गया। यह किसानों को प्रति बीघा 2300 शुद्ध घाटा तो खर्च तक ही लग रहा है। आय तो किसानों के पास बच नहीं पा रही है। किसानों को सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि, खेती लाभ का धंधा ना होकर किसानों के लिए घाटे का

धंधा बनता जा रहा है। जापान में यह भी मांग की गई कि सरकार एवं शासन मिलकर प्रत्येक किसान को फसल बीमा का लाभ मिले ऐसी योजना को धरातल पर लाकर लाभ पहुंचाये। समस्त किसानों का सरकार से विशेष आग्रह है कि, इस बार 400 पार के नारों से हटकर 6000 से 8000 रुपए प्रति किंवल्टल के मान से मांगों को मानकर समस्त किसानों को लाभ मिलें तथा कर्ज से मुक्त हो सकें। सरकार जल्द करे फैसला, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन भारतीय किसान यूनियन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के बाद मीडिया से चर्चा में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़ ने कहा, लगातार हो रहे नुकसान से परेशान किसान अब एकजुट हो गया है। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के किसान भारी बारिश के कारण सोयाबीन की फसल में काफी नुकसान उठा रहे हैं। इसके बावजूद देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए

किसानों ने सोयाबीन की खेती जारी रखी है, लेकिन सरकार की खाद्य तेल से जुड़ी नीतियां किसानों के हित में नहीं हैं। जब किसान अपनी फसल बाजार में लाते हैं, तो सरकार निर्यात बंद कर देती है और आयात खोल देती है, जिससे कीमतें गिर जाती हैं। वनों से मध्य प्रदेश के किसान भारी बारिश के कारण सोयाबीन की फसल में काफी नुकसान उठा रहे हैं। इसके बावजूद देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए

भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले निकाली गई विशाल रैली, सौपा जापान



भारतीय किसान यूनियन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के बाद मीडिया से चर्चा में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़ ने कहा, लगातार हो रहे नुकसान से परेशान किसान अब एकजुट हो गया है। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के किसान भारी बारिश के कारण सोयाबीन की फसल में काफी नुकसान उठा रहे हैं। इसके बावजूद देश को तिलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए

आने लगेगा। किसान भयभीत हैं कि, तब तो दाम रसातल में पहुंच जाएंगे। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपये निर्धारित है, तो किसानों के लिए दाम कम क्यों? नगदी फसल होने से सरकार इसकी खरीद नहीं करती। उपज बाजार में ही बेचनी पड़ती है। किसान थक चुके हैं कि कब तक उपज संभालकर रखें। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो आगे उग्र आंदोलन सितंबर से खरीफ का नया सोयाबीन 15

संपादकीय

अन्याय का बुलडोजर



शीर्ष अदालत ने एक उस विवादास्पद मुद्दे पर स्पष्ट राय देते हुए सामने रखी है जिसकी तार्किकता को लेकर पिछले कई वर्षों से बार-बार सवाल उठ रहे थे। यानी कुछ राज सरकारों के बुलडोजरी न्याय को लेकर। खासकर भाजपा शासित राज्यों में गंभीर अपराधों व अनधिकृत कब्जों के खिलाफ पीला पंजा चलता देखा गया। जाहिरा तौर पर इस तरह की कार्रवाई न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। सवाल यह भी है कि जब तक किसी व्यक्ति पर सिर्फ आरोप ही लगे हैं, तो उसका घर कैसे गिराया जा सकता है? इस विवादास्पद कार्यशैली को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवायी के दौरान कोर्ट की शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणियाँ की हैं। अदालत का मानना था कि भले ही कोई व्यक्ति किसी सीपीन मामले में दोषी हो तो भी बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरी किए ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके मायने अवैध निर्माण को संरक्षण देना कदापि नहीं है। दरअसल, इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से दलील दी जाती रही है कि जिन मामलों में यह कार्रवाई की गई वे गैरकानूनी कब्जे कर किए गए अनधिकृत निर्माण थे। निस्संदेह, ये दलीलें मामले में जरूरी प्रक्रिया को न अपनाये जाने के चलते न्याय के अनुरूप नहीं दहलाई जा सकती हैं। दरअसल, हाल के वर्षों में कई बार देखने में आया कि कुख्यात अपराधियों, हत्यारों व बलात्कारियों के घर जमींदोज कर दिए गए। सतही तौर पर कहा जाता रहा है कि ऐसे अपराधियों में शासन-प्रशासन का भय होना चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई को व्यापक अर्थों में देखें तो यह न तो कानून की कसौटी पर खरा उतरती है और ना ही इसे मानवीय दृष्टि से सही कहा जा सकता है। यही वजह है कि गाढ़े-बगाड़े राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों द्वारा ऐसी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाये जाते रहे हैं। निष्पक्ष ही किसी सभ्य समाज में ऐसे सवालों का उठना लाजिमी है। सर्वोच्च न्यायालय के उस तर्क से सहमत हुआ जा सकता है जिसमें कहा गया था कि किसी मामले में आरोप लगने के बाद ऐसी कार्रवाई कानून सम्मत नहीं है। लेकिन ऐसी कार्रवाई तब भी नहीं की जानी चाहिए जब उसका अपराध साबित हो गया हो। निस्संदेह, घर एक परिवारिक इकाई का नाम है। एक घर को बनाने में एक व्यक्ति की पूरी उम्र लग जाती है। फिर परिवार के तमाम सदस्यों का भी तो वह घर होता है। उनको अपराधी या आरोपी व्यक्ति के कृत्यों के चलते बेघर तो नहीं ही किया जा सकता। यह न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि अमानवीय कदम भी है। जिनका किसी अपराध से लेना-देना न हो, उन्हें दंडित करना अन्याय ही तो है। फिर यदि किसी व्यक्ति के घर पर आरोपों के चलते बुलडोजर चला दिया गया हो और वही व्यक्ति कालांतर आरोपमुक्त हो जाए, तो ध्वस्त घर बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? शासन-प्रशासन के अधिकारियों को अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के बजाय विवेक व न्यायसंगत तरीके से कोई निर्णय लेना चाहिए। निस्संदेह, अतिक्रमण का संकेत देशव्यापी है, जिसे धर्म-जाति से परे कानून की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बल्कि तमाम तरह के अतिक्रमणों को बढ़ावा देने में राजनेताओं की बड़ी भूमिका होती है। कालांतर वोट बैंक बनाने के लिये वे इन अवैध निर्माणों को वैध बनाने की कोशिश में जुट जाते हैं। बहरहाल, देश में अतिक्रमण हटाने और बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर देशव्यापी दिशा-निर्देश तय होने चाहिए। जिससे राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों के लिये इस कार्रवाई को तार्किक दूराने की कोशिश न कर सकें। साथ ही अवैध निर्माण गिराने की प्रक्रिया सबके लिये एक समान होनी चाहिए। वैसे तो अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया निरंतर सालभर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका चुनाव या लक्षित समय में उपयोग करना गलत होगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं ताकि पूरे देश में बुलडोजर के इस्तेमाल के बाबत तार्किक व एकरूपता वाले दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को दिए जा सकें। सवाल अधिकारियों का अपनी विश्वसनीयता कायम करने का भी है।

घातक व असामाजिक हालात बनाता सोशल मीडिया

पंजाब के एक विधि महाविद्यालय में नए प्रवेशकों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम में, यह जानना चौंकाने वाला था कि औसत छात्र दिन में सात घंटे से अधिक समय तक सोशल मीडिया (एसएम) पर व्यस्त रहते हैं, जिससे उनके पास खेल, पुस्तकालय और अन्य सामुदायिक व्यस्तताओं और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए कोई समय नहीं बचता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 65 प्रतिशत किशोर सोशल नेटवर्किंग सेवा (एसएनएस) से जुड़े हुए हैं और उनमें से 72 प्रतिशत की इंटरनेट तक सीधी पहुंच है। भारत में सोशल मीडिया खातों और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, 77 प्रतिशत कर्मचारी काम पर सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करना स्वीकार करते हैं। निःसंदेह, एसएम उन लोगों को अद्वितीय मंच प्रदान करता है जो अपने सामाजिक नेटवर्क को बढ़ाने, व्यवसाय को बढ़ावा देने और अकेलेपन को दूर करने की इच्छा रखते हैं। यह उन लोगों के लिए अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है जिन्हें कम्पनी की आवश्यकता होती है। एसएम पर अत्यधिक सक्रियता इसके उपयोगकर्ताओं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। बफेलो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार, एसएनएस के अत्यधिक उपयोग से उन कॉलेज के छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जो बड़े पैमाने पर नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करते हैं, उनमें से सी-रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) का प्रभाव उच्च स्तर पर होता है, जो मधुमेह और हृदय सम्बन्धी बीमारियों से जुड़ी समस्या का संकेत है। सोशल मीडिया की आदी नई पीढ़ी को 'नीली रोशनी के प्रभाव' से पीड़ित होने का जोखिम अधिक होता है, जो सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्सर्जित होती है, यह मेलैटोनिन हार्मोन के उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जो निद्रा और जाग्रत-चक्र या 'सर्कोडियन' लय को नियंत्रित करता है, जिसके परिणामस्वरूप नींद और प्रतिरोधक-क्षमता प्रभावित होती है। न्यूयॉर्क-प्रेसबिटेरियन मेडिकल सेंटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्टडी (2018) की रिपोर्ट है कि स्क्रीन-टाइम गतिविधियों पर दिन में दो घंटे से अधिक समय बिताने वाले बच्चों ने भाषा और विचार परीक्षणों में कम अंक प्राप्त किए। सात घंटे से अधिक समय तक प्रतिदिन मीडिया स्क्रीन के सम्पर्क में रहने वाले कुछ बच्चों के मस्तिष्क के अवयव के पतले होने का अनुभव किया गया, मस्तिष्क का यह क्षेत्र आलोचनात्मक सोच और तर्क से सम्बन्धित है। 2015 में, मनोवैज्ञानिक मैरियन अंडरवुड और समाजशास्त्री रॉबर्ट फारिस ने तेरह साल के 200 से अधिक छात्रों के लगभग 1.5 लाख सोशल-मीडिया पोस्ट का विश्लेषण किया और पाया कि उन्होंने अपने लिए काफी अलग ऑनलाइन व्यक्ति बनाए थे, उन्होंने किसी झिझक और परिणामों या नतीजों के डर के बिना जो कुछ भी करना चाहा उसे करने या कहने की आज़ादी महसूस की। मीडिया सिद्धांतकार डालस इस घटना को 'डिजिटल फ्रीडम' कहते हैं, जो 'एक ही समय में अपने एक से अधिक अवतारों में मौजूद रहने की कोशिश करने का अनुभव है'।



अध्ययनों ने स्थापित किया है कि सोशल मीडिया साइटों से प्राप्त लगातार उत्तेजा मनुष्यों में ध्यान-अवधि को कम करती है, और इसके दूरगामी परिणामों से रूबरू कराती है। ऐसे व्यक्तियों को स्वयं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना मुश्किल हो सकता है, वे विवरण पर कम ध्यान देने के परिणामस्वरूप गलतियां कर सकते हैं, और सामाजिक स्थितियों, कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थानों जैसी परिस्थितियों में खराब प्रदर्शन कर सकते हैं। तुलना मानव स्वभाव में निहित है। अपने और दूसरों के निजी जीवन के प्रत्येक क्षण को साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है, जिससे हर कोई उनकी गोपनीयता में घुसपैठ कर रहा है। इससे विभिन्न प्रकार के व्यवहार सम्बन्धी टकराव, सम्बन्धों में कलह और सामाजिक द्वंद उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अबोध ग्राहक यह अनर्थ नहीं कर पाते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने की बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को लाभांशित करने के लिए सबसे करीबी माध्यम है। सामाजिक सम्पर्क साइटों पर गुप्त और असत्यापित जानकारी की बमबारी दर्शकों के दिमाग को अव्यवस्थित करने के अलावा उनके प्राइम-टाइम पर जगह बनाने और विचलित करने का कारण बन रही है, इसने उनसे दिमाग, दिल और आत्मा के साथ कुछ पल रहने और जीने का आनन्द छीन लिया है। इसके अतिरिक्त, पक्षपाती सोशल मीडिया एल्गोरिदम निष्क्रिय रूप से उपयोगकर्ताओं को अनुपयुक्त सामग्री का उपयोग करने के लिए मजबूर करते हैं जो नैतिक असद्वेदनशीलता का कारण बन सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार ऐसे पीड़ित स्क्रीन-उत्तेजा की खोज करने की इच्छा मजबूर होकर, दिन में 79 बार अनैच्छिक रूप से अपने मोबाइल फोन की जांच करते देखे जा सकते हैं। नेटवर्किंग साइटों पर अत्यधिक व्यस्तता व्यक्तियों को एकांत और अकेलेपन में घसीटने की क्षमता रखती है। नियमित रूप से आमने-सामने की बातचीत के अभाव में, मनुष्य चेहरे के संकेतों, आवाज के स्वर और परिवर्तन, शरीर की भाषा और भावनाओं की गर्मजोशी

को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो देते हैं। सो १। ल मीडिया की लत के नैतिक परिणाम कहीं अधिक गम्भीर हैं और 'साइबरबुलिंग' से लेकर निजता के उल्लंघन तक फैले हुए हैं। मिडल और हाई स्कूलों के 30 प्रतिशत छात्रों की पहचान 'साइबरबुलिंग' के पीड़ितों या दोगैयों के रूप में की गई है, और उनमें से 18 प्रतिशत लड़कियां हैं। दुर्भाग्य से, 'साइबरबुलिंग' के 15 प्रतिशत पीड़ित अवसाद के कारण आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया पर गुप्त पहचान और गुमनामी गुप्त उपयोगकर्ताओं को अनुचित सामग्री पोस्ट करने और पीछा करने, ट्रोलिंग और साइबरबुलिंग जैसे साइबर-अपराधों में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि, टेलीग्राफ संचार अधिनियम, 2023 सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, ग्राहकों को उनकी निजता एल्गोरिदम निष्क्रिय रूप से बचाने के लिए उपाय निर्धारित करता है और प्रवर्तन एजेंसियों को आपत्तजनक संदेशों को रोकने और सेवा प्रदाताओं को ऐसे तत्वों को बेनकाब करने और उनके 'एन्क्रिप्टेड' संदेशों को प्रकट करने के लिए मजबूर करने का अधिकार देता है। लेकिन नियमों के अभाव और जनता की ओर से जागरूकता की कमी में यह निवारक कानून साबित नहीं हो रहा है। मीडिया-स्क्रीन पर अति-सक्रियता के मुद्दे पर सभ्यता ऐसे घातक मोड़ पर खड़ी है कि उसे आत्मनिरीक्षण करना ही पड़ेगा कि 'क्या हम सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं या हमने हमें हज़म करना शुरू कर दिया है?'



केशव सिंह

यकीनी बने अफगान महिलाओं के हकों की बहाली

अगस्त, 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर पुनः कब्जा करने के साथ ही, इससे उस देश की महिलाओं का जीवन लगभग अंधकारमय हो गया। एक सुनियोजित रणनीति के तहत, तालिबान नेतृत्व ने महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर हमला किया है। सत्ता में आने के बाद तालिबान ने वादा किया था कि वह सभी को साथ लेकर अफगानिस्तान पर शासन करेंगे, लेकिन समय के साथ उनका यह वादा झूठा साबित हो गया। एक बार फिर से पुरानी निरंकुश व्यवस्था उभर आई है, जिसमें केवल पुरुष प्रधान व्यवस्था का बोलबाला है और महिलाओं को पीछे धकेल दिया गया है। अब अफगान महिलाओं के अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। महिला अधिकारों की यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करती है कि मानवाधिकारों का ढोल पीटने वाला यह ताकतवर राष्ट्र अफगानिस्तान में अपनी नैतिक जिम्मेदारी को कैसे निभाएगा। अपने आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक हितों के कारण चीन और अरब राष्ट्रों ने तालिबान द्वारा महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों को नजरअंदाज करना स्वीकार कर लिया है। इन देशों के इस निंदनीय रवैये के कारण विश्व के अन्य देशों द्वारा स्थिति सुधारने के प्रयास कमजोर पड़ गए हैं। समय की मांग है कि चीन और तालिबान समर्थक देश अपना रवैया बदलें और तालिबान पर दबाव डालें कि वह महिलाओं के अधिकारों को बहाल करे और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलें। हाल ही में तालिबान ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर अपना चेहरा, सिर और पूरा शरीर ढकना होगा। उन्हें अपनी आवाज पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा; ऊंची आवाज में बात करने की अनुमति नहीं है। महिलाओं के गाने और ऊंची आवाज में कुरान पढ़ना भी प्रतिबंधित है। पतले और पारदर्शी कपड़े पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह भी कि महिलाएं अपने घर में भी इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करें कि उनकी आवाज बाहर सुनाई दे। इन अमानवीय आदेशों के खिलाफ दुनिया के देशों को मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए। इन आदेशों का जोरदार विरोध करना चाहिए। भारत भी इसमें योगदान दे सकता है और उन प्रताड़ित महिलाओं को राजनीतिक शरण प्रदान कर सकता है जो खतरे में हैं। भारत अफगान महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए धन मुहैया करवा कर तालिबानी आदेशों के

प्रति अपना विरोध दर्ज करवा सकता है। भारत क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से तालिबान पर राजनीतिक और नैतिक दबाव बना सकता है क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में भी भारी कटौती की गई है। सरकार के फरमानों के कारण अधिकांश व्यावसायिक व रोजगार के अवसर महिलाओं की पहुंच से बाहर हो गए हैं। महिलाएं अब घर की चारदीवारी के भीतर बंद होकर रह गई हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। बाजार और कार्यालयों में, जहां पहले महिलाओं की उपस्थिति होती थी, वहां अब केवल पुरुष ही नजर आते हैं। पहनावे पर लगे प्रतिबंधों और चेहरा ढका रहने के कारण महिलाएं अपने ही देश में गुमनाम-सी हो गई हैं। महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली अफगान महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है और उनके लिए अब सभी रास्ते बंद हो गए हैं। अधिकांश या तो जेलों में बंद हैं या ह्यूकर डर के माहौल में जी रही हैं। जिन महिलाओं ने इन नियमों का उल्लंघन किया, उन्हें जान से

हाथ धोना पड़ता है। तालिबानी आतंक केवल शारीरिक दंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा, जिस कारण नारी शक्ति अफगानिस्तान में असाहय बनकर रह गई है। यद्यपि अमेरिका और अन्य देशों तथा मानवाधिकार से जुड़े संस्थानों ने तालिबान द्वारा महिलाओं के अधिकारों के दमन की निंदा की है, लेकिन किसी भी स्तर पर ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिसका लाभ इन शोषित महिलाओं को मिल सके। संयुक्त राष्ट्र भी अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान के विरोध के कारण सफल नहीं हो पाया है। हालांकि मानवीय आधार पर सहपता दी जा रही है, लेकिन इसे दीर्घकालिक समाधान नहीं कहा जा सकता। तालिबान के दखल के कारण अधिकांश सहायता सामग्री उन लोगों तक नहीं पहुंच रही जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। इन परिस्थितियों में, विश्व समुदाय को ठोस प्रयास करने होंगे क्योंकि अफगानिस्तान की महिलाओं की लड़ाई दुनिया की सभी महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई है। ऐसे हालात में विश्व चुप नहीं रह सकता जब एक राष्ट्र अपनी भी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा हो। कुछ ऐसा सुनिश्चित करना होगा जिससे अफगान महिलाएं आधुनिक हो सकें कि विश्व उनके साथ है, विरोधियों के साथ नहीं, क्योंकि इन हालात का दूरगामी असर विश्व भर में पड़ेगा।



अफगान महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है।



अमरजीत भुल्लर

जीएम फसलों पर यूरोपीय अनुभवों के सबक

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने को कहा है। पिछले दो दशकों से संशोधित जीएम फसलों की देश में आमद को रोकने में सफल रहे हैं, और संभावना है कि वे इसका विरोध जारी रखेंगे। पिछले सप्ताह, 18 राज्यों के फार्म यूनियन नेताओं ने जीएम फसलों और इसके पर्यावरणीय प्रभाव, वस्तु-व्यापार, कृषि विविधता, और मानव एवं पशु स्वास्थ्य पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जीएम फसलों के विरोध में सभी एकमत थे। भारत पहले ही जीएम जैव के संबंध में एक उचित और स्वीकृत नीति बनाने में जुड़ रहा है। यूरोपीय संघ (ईयू) ने अपने सदस्य देशों में जीएम उत्पादों/बीजों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है। ईयू जीएम जैव एक अपेक्षाकृत अच्छी नीति बनाने में सक्षम रहा है (हालांकि यह पूरी तरह से सही नहीं है), और यह भारत के लिए एक सबक हो सकता है। कृषि विकास का इतिहास हमें बताता है कि दुनिया ने अब तक तीन 'हरित क्रांतियां' देखी हैं। पहली हरित क्रांति की शुरुआत 1930 के दशक में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई। इसमें उर्वरक, कीटनाशक, फसल प्रजतिगत, मशीनरी और कृषि प्रबंधन में सुधार शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप मक्का और अन्य तापमान-जलवायु पर आधारित फसलों की उपज में तेजी से वृद्धि हुई। दूसरी हरित क्रांति 1960 और 1970 के दशकों में आई, जिसमें कुछ भारतीय राज्य भी शामिल थे। इस क्रांति ने विकासशील देशों और गर्म इलाकों में उगाई जाने वाली फसलों के लिए समान तकनीकें उपलब्ध कराईं, लेकिन इन तकनीकों को स्वदेशी अनुसंधान और विस्तार नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया

गया। जीएम उत्पाद, विशेषकर कृषि में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके बने बीज, 1970 के दशक में प्रकट हुए और 1990 के दशक से मुख्यतः उत्तरी अमेरिका में इनका व्यवसायीकरण किया गया। इस तकनीक के समर्थकों का दावा है कि इससे कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि होगी और खाद्य आपूर्ति में गुणात्मक सुधार होगा। पहली दो हरित क्रांतियों और तीसरी हरित क्रांति के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि तीसरी क्रांति को उतनी निर्णायकता के साथ अपनाया नहीं गया। मानव, पशु और पौधों पर जीएम प्रौद्योगिकी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में संदेह बना हुआ है। यूरोपीय संघ के देशों ने जीएम उत्पादों पर सख्त नियामक प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना और ब्राजील ने अधिकांश कृषि-जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की अनुमति दी है। भारत सहित अधिकांश अन्य देश सही रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने इस तकनीक का विरोध किया और सख्त जीएम-प्रतिबंधात्मक नीतियां अपनाईं। अधिकांश यूरोपीय सरकारों और यूरोपीय संघ ने जीएम संशोधित जैव से जुड़े जोखिमों की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए एहतियाती दृष्टिकोण अपनाया, जिसे 'पछतावे से रोकथाम' का सिद्धांत कहा जा सकता है। इसके विपरीत, अमेरिका ने दावा किया कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत, विशेषकर सैनटरी और फाइटोसैनटरी उपायों पर समझौते में निहित प्रावधानों के

तहत, 'समान' उत्पाद (वह उत्पाद जो सीधे प्रतिस्पर्धात्मक या उनका विकल्प हो) के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि संभावित आयातक या प्राप्तकर्ता देश को यह दिखाना होगा कि कोई जीएम बीज/उत्पाद (यदि कोई माना जाएगा जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह असुरक्षित है। इसलिए, मुक्त व्यापार व्यवस्था, जिसे डब्ल्यूटीओ मान्यता और समर्थन देता है, के तहत यूरोपीय संघ 'ठोस विज्ञान' के सबूतों के अभाव में अमेरिका से जीएम बीज या उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित नहीं कर सकता। अमेरिकी दृष्टिकोण से असहमत होते हुए, यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों द्वारा जीएम बीज/उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए कई तरकीबें अपनाईं, जिसकी शुरुआत 1998-2004 के दौरान जीएम फसल किस्मों के अनुमोदन पर रोक लगाने से हुई। स्थान से नाराज होकर, अमेरिका, अर्जेंटीना और कनाडा ने 2003 में जीएम उत्पादों के लिए यूरोपीय संघ की विनियामक नीति के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में मुकदमा दायर किया। उनका दावा था कि यूरोपीय संघ की जीएम नीति 'अवैध व्यापार प्रतिबंध' उत्पन्न कर रही है। डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान पैनल ने सितंबर 2006 में शिकायतकर्ता देशों के पक्ष में फैसला सुनाया और यूरोपीय संघ को अपनी जीएमओ अनुमोदन प्रक्रिया को डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप सुधारने का आदेश दिया। लेकिन डब्ल्यूटीओ के फैसले से पहले ही, यूरोपीय संघ ने अपनी निर्णय-प्रक्रिया को बदल दिया, जो आज भी बहुत जटिल बनी हुई है। जोखिम का आकलन सदस्य देशों के वैज्ञानिक निकायों के साथ गहन परामर्श के बाद किया जाता है। इस राय को सार्वजनिक परामर्श के लिए जनता के समक्ष रखा जाता है। यूरोपीय संघ के नियमों के

अनुसार, एक सदस्य देश पर्यावरण या कृषि नीतिगत उद्देश्यों, शहरी और राष्ट्रीय नियोजन, भूमि उपयोग, और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जैसे कई आधारों पर किसी फसल को न उगाने, निषिद्ध करने, या प्रतिबंधित करने का अधिकार रखता है। परिणामस्वरूप, यूरोप में व्यवसायीकरण के लिए बहुत कम कृषि जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को मंजूरी दी गई है। विश्व व्यापार संगठन के निर्णय और अमेरिकी सरकार के लगातार दबावों के बावजूद, यूरोपीय संघ के सदस्य और अन्य यूरोपीय देश जीएम फसलों और अन्य उत्पादों, विशेष रूप से खाद्य श्रृंखला में शामिल उत्पादों को आसानी से मंजूरी देने से लगातार बचते रहे हैं। यूरोपीय संघ और अन्य देशों की अनिच्छा ने विश्व व्यापार संगठन और जीएम प्रौद्योगिकी निम्नताओं के दबाव को कमजोर कर दिया है। इस दबाव में कमी से भारत अपनी स्वतंत्र राह चुनने के लिए बेहतर स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय ने जीएम जैविकी पर एक उचित और स्वीकार्य नीति लाने की जिम्मेदारी केंद्र को सौंपकर सही किया है। भारतीय नीति निर्माताओं को यूरोपीय अनुभवों की विवेचना करनी चाहिए। हमने पहले हरित क्रांति तकनीक की स्वीकार किया था, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में जनदस्त वृद्धि हुई थी, हालांकि इसके साथ कुछ दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव भी जुड़े थे। इस बार, जहाँ तक संभव हो, हमें मंजूरी देने से पहले तकनीक के दीर्घकालिक प्रभाव, सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों का सर्वांगीण आकलन करना चाहिए।



'समान' उत्पाद (वह उत्पाद जो सीधे प्रतिस्पर्धात्मक या उनका विकल्प हो) के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करना आवश्यक है।

अंडर ब्रिज में जमा पानी में डूबने से युवक की मौत

पेट के इलाज के बहाने महिला ने वसूले डॉक्टर से 50 लाख रुपए, चला रही ये रैकेट



माही की गूंज, मंदसौर। जिले में पुलिस ने एक बड़े सेक्सटॉर्शन गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें, इस गिरोह में एक महिला, उसके बेटे और दामाद सहित कुल छह लोग शामिल थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी तीन फरार हैं। गिरोह की लीडर महिला रामी बाई अपने बेटे कमलेश मालवीय और दामाद चौध राम चौहान के साथ मिलकर इस गिरोह को चलाती थी।

रों हाथों गिरफ्तार

अफजलपुर थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा तब किया जब गिरोह ने एक डॉक्टर को फंसाने की कोशिश की। रामी बाई पेट दर्द के इलाज के बहाने डॉक्टर मंगल सिंह देवड़ा के पास गईं और उसके बाद उस पर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की मांग की। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अफजलपुर थाना के टीआई समर्थ सिनम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रामी बाई सहित दो अन्य आरोपियों को रों हाथों गिरफ्तार कर लिया।

50 लाख रुपये वसूली

पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि यह गिरोह पहले भी रतलाम जिले में इसी तरह से कई लोगों को फंसा कर 50 लाख रुपये से ज्यादा की वसूली कर चुका है। आरोपी महिला अपने बेटे और दामाद के साथ मिलकर अन्य युवतियों का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और फिर उनसे मोटी रकम ऐंठती थी।

तीन आरोपी फरार

मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि, इस गिरोह के खिलाफ सभी आवश्यक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस अब फरार चल रहे तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर तलाश कर रही है। बता दें, पुलिस इस मामले में पूरी गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में मंगलवार रात शहर के मिड इंडिया अंडर ब्रिज में भरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सुबह जब अंडर ब्रिज में जमा पानी कम हुआ तब शव दिखा। सूचना पर सीएसपी व कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बाहर निकलवाकर पीएम के लिए भिजवाया गया।

ब्रिज में शव होने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह सहित कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया। मृतक की जेब में मिले दस्तावेजों के आधार पर मृतक की पहचान मोहित उर्फ मुस्सा निवासी खिलचिपुरा हाल मुकाम 500 क्रॉस टिगरिया मंदसौर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

जब से अंडर ब्रिज बना, तब से हो रहे हादसे

मंदसौर में हुई झमाझम बारिश के कारण मिड इंडिया अंडर ब्रिज में पानी भर गया था, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। उसके बावजूद भी कुछ लोग ब्रिज से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी का परिणाम रहा कि ब्रिज में जमा पानी में रात में एक युवक डूब गया। सुबह जब ब्रिज में पानी कम हुआ तब शव उतरता नजर आया।



चालक स्लिप होकर घायल हो गए।

नगर पालिका के प्रयास नाकाफी

नगर पालिका द्वारा अंडर ब्रिज से पानी निकालने के लिए एक मोटर पंप लगाया गया था, लेकिन यह प्रयास नाकाफी साबित

हुआ। पानी का स्तर बढ़ता गया और अंततः अंडर ब्रिज में पानी का भराव बढ़ गया। इस हदसे ने नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिड इंडिया अंडर ब्रिज बनने के बाद से ही समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने कई

बार ज्ञापन सोपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। लेकिन नगर पालिका ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज नगर पालिका की लापरवाही के कारण ही अंडर ब्रिज में हुए जलजमाव ने एक युवक की जान ले ली।

आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत

अजीतनाथ जैन मंदिर में प्रतिदिन रचाई जा रही भगवान की आंगी

'कराशन' के पन्नों की माला डाली और रेंगता हुआ कलेक्टर ऑफिस पहुंचा शरत्स

माही की गूंज, रतलाम।

जिले की औसत वर्षा का आंकड़ा मंगलवार को 34 इंच पार कर गया। दिन में आकाशीय गर्जना के साथ शहर सहित अंचल में जोरदार बारिश हुई, नदी नाले उफान पर है। दोपहर 3.40 बजे शहर में छाई घनघोर घटा आकाशीय गर्जना के साथ बरसे। रतलाम की औसत वर्षा बुधवार प्रातः आठ बजे तक 865 मिमी हो चुकी है, जबकि बाजना में 1141 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। अच्छी बारिश से जहां किसान वर्ग खुश, वहीं प्राकृतिक आकाशीय बिजली गिरने से दो दिन में दो की मौत हो गई है।

बिजली गिरने का धमाका हुआ। पता चलने पर मंजूबाई को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सोमवार को रिगानोड थाना अन्तर्गत एक युवक की मौत हो गई थी।



मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर गिरी बिजली, क्षतिग्रस्त। मंशापूर्ण हनुमान मंदिर पर सोमवार रात तेज बारिश के दौरान गर्जना के साथ बिजली गिरने से मंदिर शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। मंदिर के पुजारी भंवर लाल शर्मा ने बताया गया कि घटना सोमवार रात 8 बजे की है। तेज तूफान व बारिश अचानक बिजली मंदिर के शिखर पर गिरी जहां पर मंदिर ऊपर से द्यार पड़ गई। इस दौरान मंदिर में कई भक्तजन उपस्थित थे, जो बिजली गिरने से घबराने लगे, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। मंदिर परिसर में लाइट लगी हुई थी। वह सब क्षतिग्रस्त हो गई। इधर ग्रामीण जनों का कहना है कि यह पहली बार सुनने में आया है कि बिजली सबका संकट हरने वाले हनुमान मंदिर के शिखर के ऊपर गिरी है यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मंदिर की पीछे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

माही की गूंज, मंदसौर।

नगर के जनकपुरा स्थित अजीतनाथ जैन मंदिर में पर्युषण महापर्व के अवसर पर भगवान की विशेष अंगरचना आंगी प्रतिदिन की जा रही है। पर्युषण महापर्व के दौरान अजीतनाथ जैन मंदिर में प्रातः प्रक्षाल पूजा, स्नात्र पूजा, आरती व प्रभु भक्ति सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर भगवान अजीतनाथ जैन मंदिर में पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस 3 सितम्बर मंगलवार को आर्कषक अंगरचना की गई जिसे सभी ने सराहा।



नगर के नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर नाकोड़ा नगर मंदसौर पर्वराज पर्युषण महापर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहे हैं। पर्युषण पर्व के दौरान मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक व पूजा प्रातः 6.45 बजे, स्नात्रपूजा प्रातः 7.00 बजे, आरती व मंगलदीपक प्रातः 7.30 बजे, संध्य आरती व मंगल दीपक सायं 8.00 बजे, प्रभु भक्ति रात्रि 8.30 बजे से की जा रही है। प्रतिदिन भगवान की सुंदर आंगी भी रचाई जा रही है जिसके दर्शन वंदन करने हेतु बड़ी संख्या में धमालुंजन मंदिर पधार रहे हैं।

नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट के दिलीप संघवी ने बताया कि, पर्युषण महापर्व के दौरान आज 4 सितम्बर बुधवार को महावीर प्रभु जन्मवर्षा संजय गांधी उद्यान पर होगा। जहां पर प. पू. विशुद्धप्रज्ञाश्रीजी म.सा. आदी ठाणा की पावन निश्रा में दोप. 3.00 बजे से प्रभु महावीर का जन्मवर्षा चन होगा। जन्मवर्षा चन के पश्चात श्री संघ का स्वामीवात्सल्य समय 4.30 बजे से होगा। इस अवसर पर स्वामीवात्सल्य के लाभार्थी - शांताबाई स्व. मोड़ीरामजी कंकरेचर परिवार है।

नीमच।

नीमच में एक शरत्स ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। उसने भ्रष्टाचार के मामले में एक गांव के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अपने गले में दस्तावेजों की एक माला लटकाकर सड़क पर लोटकर प्रदर्शन किया। 'लोटकर' किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नीमच के जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्र ने शिकायत की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया।



सोशल मीडिया पर मुकेश प्रजापत नाम के प्रदर्शनकारी व्यक्ति का एक वीडियो सामने आया और राज्य कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के अपने आधिकारिक हैंडल पर व्लिप को साझा किया।

प्रजापत एक सरपंच के खिलाफ शिकायत लेकर आए थे और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पहले ही कर ली है। खेड़े ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर नए सिरे से जांच की जाएगी।

मंगलवार को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर कार्यालय के परिसर में जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जहां वरिष्ठ अधिकारी नागरिकों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर गौर करते हैं। इससे पहले जुलाई में मंदसौर जिले में एक बुजुर्ग किसान ने कलेक्टर कार्यालय के फर्श पर लोटते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन ने जमीन हड़पने की उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया।

लेडी टीचर से तंग छात्राओं का जंगी प्रदर्शन

जनपद सीईओ सभी पंचायतों में मुक्तिधाम बनवाएं - कलेक्टर



भोपाल। राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं ने जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। शिक्षिका से परेशान छात्राओं ने स्कूल में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ कर डाली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने मामले को शांत कराया। दरअसल, भोपाल में स्थित सरोज नायडू हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं एक नवागत शिक्षिका वर्षा झा से बहुत परेशान हैं। आरोप है कि छात्राओं को सजा के नाम पर शिक्षिका धूप में खड़ी करती हैं, तो वहीं स्कूल में झाड़ू भी लगाती हैं। शिक्षिका की बार-बार की प्रताड़ना से तंग आकर छात्राओं ने हंगामा कर दिया। इस दौरान छात्राओं ने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। विरोध प्रदर्शन के बीच कई छात्राएं बेहोश भी हो गईं। जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हंगामे की सूचना के बीच स्थानीय कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। इसके बाद छात्राओं की मांग पर महिला टीचर वर्षा झा को स्कूल से हटा दिया गया।

माही की गूंज, मंदसौर।

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को सीतामऊ एसडीएम कार्यालय में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर अदिति गर्ग ने लोगों की समस्या को सुना तथा मौके पर ही निराकरण किया। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने जनपद सीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि, सभी ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम अनिवार्य रूप से बनवाएं। कोई भी ग्राम पंचायत मुक्तिधाम विहीन नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने पीआईयू विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि, कयामपुर अस्पताल निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करें। जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए कि, जो व्यक्ति विगत 6 माह से राशन नहीं ले रहे हैं, उनकी सूची बनाएं तथा पात्रता सूची से उनका नाम हटाएं। इसके साथ ही शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से पूरे महीने राशन वितरण होना चाहिए। कृषि विभाग फसलों में हो रहे पीला मोजेक रोग की जांच करें तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राजस्व अधिकारी खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। शासकीय भूमि से अतिक्रमण तुरंत हटाना चाहिए। इसके साथ ही जनसुनवाई के दौरान लाइली बहना का लाभ प्राप्त करने, लाइली लक्ष्मी, सीमांकन, रास्ता विवाद, रास्ते पर अतिक्रमण हटाने, व्हीलचेयर प्राप्त करने

इत्यादि के लिए लोगों ने आवेदन दिए। जनसुनवाई के दौरान 85 आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ का किया निरीक्षण

कलेक्टर अदिति गर्ग ने जनसुनवाई के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतामऊ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल के बाहर ही एनएनसी जांच एवं आयुष्मान केंद्र शुरू किया जाए। जिससे आम व्यक्ति आसानी से अस्पताल के मुख्य द्वार से ही इन दोनों सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके। नगर पालिका सीएमओ तथा एसडीओपी को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल परिसर के आसपास के रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को तुरंत हटवाएं। इसके साथ ही कलेक्टर ने ओपीडी कक्ष, इमरजेंसी रूम, चिकित्सा कक्ष, पंजीयन काउंटर, टीकाकरण कक्ष, एनएनसी जांच कक्ष, एक्सरे कक्ष, जननी सुरक्षा कक्ष, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, पोषण पुनर्वास केंद्र, प्रस्तुति गृह का भी निरीक्षण किया। पोषण पुनर्वास केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बच्चों से संवाद किया।



उचित मूल्य की दुकान और सीएम राइज स्कूल का किया निरीक्षण

कलेक्टर ने लदुना में उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। दुकान को नियमित समय पर खोलें। लदुना में ही सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चे

नीचे ना बैठे इस बात का विशेष ध्यान रखें। फर्नीचर की व्यवस्था करें। साथ ही सभी क्लास में लाइट की व्यवस्था भी करें। निर्माण सीएम राइज स्कूल का कार्य समय सीमा में पूर्ण करें। कार्य नवशे के अनुरूप कार्य करें। कार्य को गुणवत्ता युक्त करें। खेल मैदान का कार्य भी समय सीमा में पूर्ण करें। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत कुमार सत्यम एवं एसडीएम श्रीमती शिवानी उपस्थित थे।

न्यूज़ ब्रीफ

प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 20 सितंबर को

माही की गूंज, बड़वानी। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बड़वानी में एक दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला 20 सितंबर को प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा।

आईटीआई बड़वानी के प्राचार्य के अनुसार, इस मेले में वॉल्को-आइसर मोटर्स, पीथमपुर द्वारा 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता आईटीआई पासधरिणाम शेष पुरुष और महिला उम्मीदवारों से मांगी गई है, जिनकी आयु 18 से 24 वर्ष के बीच होनी अनिवार्य है।

अप्रेंटिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को 7,700 रुपये से 9,000 रुपये प्रति माह स्ट्राइफंड और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, बायोडाटा और रिज्यूमे के साथ 20 सितंबर को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार के लिए उपस्थित देना होगा।

इस भर्ती प्रक्रिया में अप्रेंटिसशिप नियमों और कंपनियों की शर्तों के अनुसार चयन किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि मेला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता नहीं प्रदान किया जाएगा।

करियर काउंसलिंग मार्गदर्शन हेतु अनुभवी विषय विशेषज्ञों का गेस्ट पैनेल गठन हेतु आवेदन आमंत्रित माही की गूंज, झाबुआ।

जिला रोजगार कार्यालय, झाबुआ में वर्ष 2024-25 में करियर काउंसलिंग योजना अन्तर्गत मार्गदर्शन देने हेतु अनुभवी मनोवैज्ञानिक, काउंसलर एवं विषय विशेषज्ञों का गेस्ट पैनेल गठन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। नामांकित काउंसलरों को काउंसलिंग हेतु निर्धारित कैलेंडर अनुसार हाई, हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन देने हेतु आमंत्रित किया जावेगा तथा आमंत्रित मनोवैज्ञानिक, विषय-विशेषज्ञ को पूर्ण काउंसलिंग दिवस हेतु निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जावेगा। आवेदक, आवेदन फॉर्म जिला रोजगार कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक खानापूरी उपरान्त 18 सितम्बर तक जमा कर सकते हैं।

डीएसई वोटर्स को हटायें जाने हेतु 6 सितम्बर तक बीएलओ को एसाइन करने के निर्देश

माही की गूंज, झाबुआ। नवागत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह की अध्यक्षता में विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के सम्बन्ध में विंडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के शेड्यूल के अनुसार कार्य निष्पादन के लिए कहा गया। उन्होंने बताया, बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर वॉटरफिफेशन की प्रक्रिया की जाये, इसमें डोर टू डोर मतदाताओं का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। फॉर्म 6, 7 और 8 की प्रक्रिया को ऑनलाइन एप के माध्यम से कराये जाये। मतदान केन्द्रों का युक्ति युक्तकरण कर प्रस्ताव भेजे जाये, जिन मतदान केन्द्रों पर जेन्डर रेशियो बहुत कम या बहुत अधिक है उसका एनालिसिस किया जाये और जनसांख्यिकीय समान प्रविधियों (डीएसई) वोटर्स को हटायें जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे दोहराव ना हो सके। विंडियो कांफ्रेंसिंग के पश्चात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेह मीना ने निर्देश दिये कि डीएसई वोटर्स को हटायें जाने हेतु 6 सितम्बर तक बीएलओ को एसाइन करने की कार्यवाही पूर्ण करे, औसत ईपी रेशियो से कम और अधिक के मतदान केन्द्रों का एनालिसिस किया जाए।

स्कूल को बनाया मेरी शाला सुंदर शाला

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा जिले के हरसूद विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला झुम्मरखाली ने अपने नवाचारी पहल से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। विद्यालय की दीवारों अब बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ-साथ एक रंगीन और खेल-खेल में सीखने का अनुभव प्रदान कर रही हैं।

इस विद्यालय की शिक्षिका नीतू ठाकुर को उनकी इस अनेखी पहल के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शिक्षक दिवस पर भोपाल में आयोजित समारोह में उन्हें राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

नीतू ठाकुर ने इस स्कूल को 'मेरी शाला सुंदर शाला' का नाम दिया है। उन्होंने स्कूल की दीवारों पर रंग-बिरंगी पेंटिंग के माध्यम से हाथी, शेर, हिरण जैसे विभिन्न जीव-जंतुओं की चित्रण की है। इसके अलावा, दीवारों पर हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर भी अंकित किए गए हैं। इन प्रयासों से झुम्मरखाली विद्यालय एक भयमुक और आनंदमयी शिक्षण वातावरण प्रदान कर रहा है।

शिक्षिका नीतू ठाकुर ने बताया कि, स्कूल के नामांकन में वृद्धि के लिए कई पहल की गई हैं। उन्होंने



घर-घर जाकर सर्वे किया, फोन के माध्यम से संपर्क बनाए रखा, और शटोली बनाओश अभियान चलाया। इन प्रयासों के माध्यम से उन्होंने पालकों को स्कूल से जोड़ा और जनसहयोग प्राप्त किया।

बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए

विद्यालय में वृक्षारोपण भी किया गया है। स्कूल में एक रीडिंग कानर की स्थापना की गई है, जहां बच्चों को रोचक पुस्तकों का नियमित पढ़ने का अवसर मिलता है। ये कितानें न केवल पढ़ाई में मदद करती हैं बल्कि उनमें रोचक गतिविधियों भी शामिल होती हैं।

180 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण

माही की गूंज, खंडवा।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों तथा छात्रावासों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण अभियान जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि हाल ही में शहरी क्षेत्र के शासकीय स्कूलों/कूरतागढ़, प्राथमिक स्कूल चासपुरा, पदमनगर स्कूल, और मिडिल स्कूल आनंद नगरक में स्वास्थ्य टीम ने 180 छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।

इस परीक्षण के दौरान सिकलसेल एनीमिया की जांच की गई और आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क वितरित की गईं। परीक्षण में 6 बच्चों को संदेहास्पद पाया गया और 3 बच्चों में सिकलसेल एनीमिया की पुष्टि हुई। चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूर्णमा अहिरिया ने बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी और कहा कि विशेषकर वर्षाकाल में संक्रामक बीमारियों के साथ-साथ मच्छरों द्वारा फैलने वाली



बीमारियाँ जैसे मलेरिया और डेंगू के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। डॉ. अहिरिया ने बताया कि लगातार वर्षों के कारण आद्रता और टंडक बढ़ रही

है, जिससे सर्दी और बुखार जैसी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है और बीमारी को नजरअंदाज

पोषण प्रदर्शनी एवं व्यंजन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन



माही की गूंज, खरगोन।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 01 से 30 सितंबर तक जिलेभर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में, भोक्तगांव परियोजना के ग्राम पंचायत लाल खेड़ा में 04 सितंबर को एक विशेष पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के तहत, सेक्टर लालखेड़ा और भारतलपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न पौष्टिक व्यंजन तैयार कर महिलाओं को पोषण के महत्व के प्रति जागरूक किया और इन व्यंजनों का प्रदर्शन किया।

इस प्रतियोगिता में श्रीमती ज्योति तोमर और श्रीमती नूरी चौहान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि द्वितीय स्थान पर श्रीमती संगीता और आशा लाड रही। महिला एवं बाल विकास समिति की जनपद पंचायत भोक्तगांव की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति कुशवाह ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यंजन बनाने की सरल विधियों के बारे में जानकारी प्रदान की।

राजेश केरावत ने राष्ट्रीय पोषण माह के संबंध में समय सारणी की जानकारी साझा की। इस अवसर पर सरपंच थावर सिंह, मुकेश कुशवाह और ग्राम की अन्य महिलाएं भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती साधना कानुंगो, पर्यवेक्षक, ने किया। यह आयोजन पोषण के महत्व को प्रमोट करने और समुदाय को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

मातृ मृत्यु एवं शिशु दर कम करने का नया नवाचार



माही की गूंज, खरगोन।

मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा एवं स्वास्थ्य विभाग खरगोन के द्वारा एक नया नवाचार खरगोन जिले में लाया गया। जिसमें अंतरराष्ट्रीय संस्था जपाइंगो द्वारा तकनीकी सहयोग से जिले में बीपीसीआर (जन्म की तैयारी और जटिलता का प्रबंधन) कैलेंडर बनाया गया है। यह कैलेंडर प्रत्येक गर्भवती महिला के घर पर लगाया जाएगा। जिसमें गर्भवती महिला एवं उनके परिवार को बता रहे कि गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान किस अस्पताल में जाना है।

इस कैलेंडर में आशा, एनएम, अस्पताल का नाम अंकित रहेगा, ताकि गर्भवती महिलाओं को जब भी प्रसव पीड़ा हो तो वह इनसे संपर्क कर सके। साथ ही होने वाली जटिलताओं एवं उच्च जोखिम होने पर सही स्वास्थ्य संस्था पर पहुंच सके। जिससे जिले में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सके।

सोलंकी ने बीईओ का किया पदभार ग्रहण

माही की गूंज, थांदला।

शासन के निर्देशानुसार जनजातीय विभाग के क्षेत्र सयोजक और झाबुआ के प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी रहे दीपेश सोलंकी ने बुधवार को थांदला बीईओ का पदभार ग्रहण किया। सोलंकी ने ज्वाइन करने के बाद कार्यालयीन स्टाफ से परिचय किया तथा कार्य में कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। बीईओ सोलंकी ने बताया कि, जनजातीय बहुल क्षेत्र में घर-घर शिक्षा का प्रकाश फैले, बच्चे स्कूलों की ओर प्रेरित हो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कलेक्टर भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य करने हेतु मार्गदर्शन दे रही है। सहायक आयुक्त के मार्गदर्शन में विकास खंड में विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों के समग्र हीतो का ध्यान रखते हुए शासन की मंशानुसार ही कार्य करना प्राथमिकता रहेगी।



सम्पूर्णता अभियान की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

माही की गूंज, बड़वानी।

भारत सरकार के नीति आयोग के आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बड़वानी जिले के विकासखंड पाटी में क्षमपूर्णता अभियान की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पाटी, जो कि सतपुड़ा की वादियों में स्थित वनांचल क्षेत्र है, को आकांक्षी

विकासखंड के रूप में चुना गया है। यहाँ की भौगोलिक संरचना और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के कारण स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की उपलब्धता में चुनौतियाँ हैं, जिसके कारण इसे आकांक्षी विकासखंड में शामिल किया गया है।

प्रमुख चर्चा इस माह के अंतर्गत आवश्यक कदमों पर केंद्रित रही।

परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास पाटी ने बताया कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य और पोषण के चार प्रमुख संकेतकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के सूचकांकों की समीक्षा के दौरान, बीपीएम श्री अम्बाराम बड़ोले ने कहा कि गर्भवती महिलाओं का पहले त्रैमासिक में पंजीयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही, बच्चों का टीकाकरण भी शत-प्रतिशत सुनिश्चित

किया जाएगा और इसकी सघन निगरानी की जाएगी। यदि किसी भी क्षेत्र में टीकाकरण या गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार छूट जाता है, तो इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की हाइपरटेंशन और डायबिटीज की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। गंधीर बीमारियों की पहचान कर मरीजों का उचित उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती पर आयोजित हुआ प्रशिक्षण

माही की गूंज, बड़वानी।

आकांक्षी जिला बड़वानी के ग्राम जुनाझीरा में कृषि विज्ञान केंद्र बड़वानी के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसके बड़ोदिया के मार्गदर्शन में भिंडी की प्राकृतिक (वैज्ञानिक) खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान, उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉ. डीके जैन ने भिंडी की प्राकृतिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने उन्नत किस्मों जैसे काशी लालिमा, पूसा लाल भिंडी, काशी अंगोती, काशी सृष्टि (संकर), काशी शतधारी, काशी विभूति, और पूसा मखमली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।



डॉ. एसके बड़ोदिया ने भिंडी की प्राकृतिक खेती नियंत्रण की तकनीकी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कृषकों

को जीवामृत तैयार करने की विधि भी बताई, जिसमें सबसे पहले 10 किलोग्राम देशी गाय का गोबर और

बेसन, और 1-2 किलोग्राम बरगद या पीपल के पेड़ की मिट्टी डालकर 200 लीटर पानी में घोल तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को 6-7 दिन तक ढककर प्रतिदिन लकड़ी से घुमाया जाता है। इसके बाद तैयार जीवामृत का उपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण के अंत में, आत्मा विभाग के अजय परिहार ने कृषकों और कृषक महिलाओं को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर श्री अजय परिहार ने सभी का आभार व्यक्त किया और प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राकृतिक खेती की विधियों को प्रोत्साहित करने और किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से अवगत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

जिले में मंगल दिवस का आयोजन

माही की गूंज, खंडवा।

जिले में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाए जा रहे पोषण माह के तहत, प्रथम मंगलवार को जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर मंगल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री विक्लांत दामले ने जानकारी दी कि पोषण माह के पहले मंगलवार को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की गोदभराई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारजनों को गर्भावस्था के दौरान पोषक आहार और पोषण तत्वों के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर जिले की सभी

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभावी पोषण शिक्षा बैठकें, पोषण उत्सव रैली और व्यंजन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें समुदाय ने

मंगल दिवस पर गोदभराई गीत, व्यंजन प्रदर्शनी, रैली और प्रभावी पोषण शिक्षा सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान समुदाय को पोषण आहार में



विविधता के महत्व के बारे में बताया गया। पोषण माह के आयोजन में एएस भोपाल, संयुक्त समाज सेवा समिति, और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हो रहा है। पोषण माह के अंतर्गत मुख्य रूप से एनीमिया पर जागरूकता, 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई की माप, पौष्टिक आहार का महत्व, प्रारंभिक बाल विकास, और पर्यावरण संरक्षण पर परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों का उद्देश्य समुदाय में स्वस्थ जीवनशैली और पोषण संबंधी सही जानकारी फैलाना है।

उत्साहपूर्वक भाग लिया। राष्ट्रीय पोषण माह की गतिविधियों के अंतर्गत

पिताजी हमेशा कहते थे-स्वाभीमान की जिंदगी जीना, अपना काम स्वयं करना: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

माही की गूंज, उज्जैन।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पिताजी का मंगलवार को निधन हो गया। बुधवार प्रातः स्वनिवास पर जब श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे और चर्चा की तो डॉ. यादव ने पिताजी से जुड़े संस्मरण सुनाते हुए कहा- जब मैं विधायक का चुनाव जीतकर आया और पिताजी के पैर छूए तो उन्होंने कहा- जीत गए अच्छी बात है लेकिन स्वाभीमान की जींदगी जीना।

कभी किसी के पैरों में मत गिरना। अपने दम पर, कर्म के आधार पर आगे बढ़ना। स्वयं के द्वारा की गई मेहनत ही एक दिन रंग लाएगी और ऊंचाई तक पहुंचाएगी। जब मैं मुख्यमंत्री बना और आशीर्वाद लेने उज्जैन आया तो घर पर चरण स्पर्श करते समय पिताजी ने कहा- अच्छा काम करना, लोगों का भला करना। किसी को दुःख पहुंचे, ऐसा काम मत करना।

डॉ. यादव के अनुसार पिताजी हमेशा आशीर्वाद के साथ एक नई सीख देते थे। वे अपना स्वयं का काम आखिरी समय तक स्वयं ही करते रहे। कोई मिलने आता तो वे कभी यह नहीं कहते कि मैं विधायक/मंत्री/मुख्यमंत्री का पिता हूँ। वे सामान्य जीवन

जीते थे। उन्होंने बताया कि जब मुख्यमंत्री निवास तैयार हो गया तो मैंने उज्जैन प्रवास के दौरान पिताजी को कहा कि आप भोपाल चलो और मुख्यमंत्री के बंगले में रहना। उन्होंने कहा- मैं तो यहीं पर अच्छा हूँ। आज तक तुम्हारी सरकारी कार में भी नहीं बैठा और आगे भी नहीं बैठना चाहता हूँ। तुम वहाँ जाकर रहो और लोगों की सेवा करो। मैं यहीं पर अच्छा हूँ। उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा खेत पर जाना। फसल तैयार होने पर उसे अपनी देखरेख में कटवाना और ट्राली के साथ स्वयं बेचने के लिए मण्डी जाना...। हम कहते भी कि यह सब आप मत किया करो। आराम करो। आपको जाने की क्या आवश्यकता है? इस पर वे कहते थे कि यह मेरा काम है, मैं ही करूँगा। वे बाजार भी सामान लेने निकल जाते थे। कभी उन्होंने किसी की किसी काम के लिए मुझसे सिफारिश नहीं की। मैं उनके लिए एक पुत्र था, न कि कोई राजनीतिक हस्ती। उन्होंने कहा कि जीवनभर कर्मशील रहे पिताजी के द्वारा दी गई सीख पर आज तक चला और आगे का सफर भी उन्हीं सीख पर चलेगा। मुझे प्रदेश की जनता की सेवा करना है और कर्म करते जाना है। मैं मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने पिता की तर्ज पर अपने सारे काम स्वयं करता हूँ। किसी की सेवा नहीं लेता हूँ।



सितंबर में मनाया जाएगा पोषण माह

माही की गूंज, आलीराजपुर।

प्रत्येक वर्ष की तरह पोषण अभियान के अंतर्गत 1 सितम्बर से 30 सितम्बर 2024 तक प्रदेश में पोषण माह का आयोजन किया



जाना है। इस अभियान में गर्भवती महिलाओं, किशोरों, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 वर्ष से कम बच्चों के पोषण का समग्र रूप से बेहतर बनाने का प्रयास है। कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक का आयोजन किया। बैठक में बताया गया कि, एनीमिया के लिए जागरूक करना, शारीरिक विकास के बारे में जानकारी देना, सही पोषण आहार की जानकारी देना, टेक्नोलॉजी आधारित पारदर्शिता एवं पर्यावरण संरक्षण आदि थीम पर पूरे माह गतिविधि आयोजित की जाएगी। जिससे समाज में कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और कुपोषण को कम करने में मदद मिलेगी। कलेक्टर डॉ. बेडेकर ने कहा कि, इस अभियान के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय के द्वारा जिले के कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं का चिन्हकन किया जाएगा और इन चिन्हकित बच्चे एवं महिलाओं को पूरक आहार मिले आहारित भोजन, आयरन फोलिक दवाइयों एवं अन्य साधनों द्वारा कुपोषण से मुक्त करने के प्रयास किए जाएंगे। इस बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री प्रियांशी भंडर ने बताया कि, एक पेड़ माँ के नाम पोषण स्कूल एवं कॉलेज उत्सव वेबिनार, पोषण वाटिका, मीडिया वर्क शॉप आदि के द्वारा जागरूकता लाने के प्रयास किए जाएंगे।

इस दौरान राजस्व स्वास्थ्य विभाग, उद्यानिकी, आयुष विभाग लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, खाद्य विभाग, स्थानीय निकाय, जल जीवन मिशन, खेल युवा कल्याण आदि से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी थे।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का किया स्वागत

माही की गूंज, आम्बुआ। विगत महीनों में देश तथा प्रदेश में हुई घटनाओं में शासन प्रशासन द्वारा आरोपियों के मकान पर बुलडोजर (जे.सी.बी) चलाने की घटनाओं को रोकने हेतु पीडित पक्ष तथा सामाजिक पक्ष द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु दायर याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी जिसमें आरोपियों तथा आरोप सिद्ध होने के बाद अपराधियों के मकान संपत्ति तोड़े जाने का अनौपचारिक बताया पर समाज द्वारा स्वागत किया गया। आम्बुआ निवासी अमानुल्लाह पठान ने बताया कि, उन्होंने जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष की हैसियत से एक आवेदन देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से थाना प्रभारी आम्बुआ को दिया था। जिसमें बुलडोजर का दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई थी इधर सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया गया है।

गणपति घाट पर ट्राले ने कार को मारी टक्कर



चढ़ने वाली लेन में जाकर पलट गया। ट्राले की टक्कर लगने से कार सड़क पर पलट गई। इसमें सवार पूरा परिवार कार के अंदर ही फंस गया। ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को दो 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए धामनोद अस्पताल भेजा गया। जहां डॉक्टर द्वारा हृदय में अनीता पति दीपक उम्र 26 वर्ष और प्रयाश पिता दीपक उम्र 7वर्ष को मृत घोषित किया। वहीं दीपक पिता कमल उम्र 40 वर्ष एवं कमल पिता कालूराम उम्र 60 वर्षों घायल हुए। जानकारी लगते ही काकड़वा चौकी प्रभारी मिथुन चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फ़ोन की मदद से वाहन को सड़क से हटाकर यातायात चालू किया गया।

माही की गूंज, धार।

राज-खलघाट फोरलेन के गणपति घाट पर वाहनों के ब्रेक फेल होने का सिलसिला धमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह गणपति घाट पर फिर एक बार दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी अनुसार इंदौर की तरफ से आकर गणपति घाट उतर रहे ट्राले एम्पी 09 एचएच 1483 के ब्रेक फेल हो गए। इसके बाद ट्राले ने अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद वह डिवाइडर को पार कर घाट



शासकीय महाविद्यालय में आरबीआई विज्ञान कार्यक्रम का हुआ आयोजन

माही की गूंज, चंद्रशेखर आजाद नगर।

शासकीय महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर में सितंबर माह में होने वाली आरबीआई क्विज प्रतियोगिता के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन कर मार्गदर्शन किया गया। जिसमें राजेश कुमार हसवाणी एडीएम आलीराजपुर द्वारा आरबीआई क्विज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। श्याम पाटीदार बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आरएसईटीआई के माध्यम से स्वरोजगार, व्यासायमूलक प्रशिक्षण आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। सुधीर जैन सामाजिक कार्यकर्ता एवं एडवोकेट द्वारा वित्तीय साक्षरता, बीमा एवं शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन प्रशासनिक अधिकारी मानसिंह डोडवा एवं आभार कमलेश गणावा द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय का स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

बाबा महाकाल की शाही सवारी के लाइव में अमर टिप्पणी, युवक पर एफआईआर दर्ज

माही की गूंज, उज्जैन।

महाकाल की नगरी उज्जैन से एक बड़ा मामला सामने आया है। जहां राजसी सवारी निकलने के दौरान सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। इसी दौरान एक इंस्टाग्राम यूजर ने बाबा महाकाल को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद हिंदू समाज नाराज होकर थाने पहुंच गया। महाकाल मंदिर से निकलने वाली सवारी को लेकर शहर में सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया। सोमवार लाइव प्रसारण के दौरान कई भक्त बाबा महाकाल-बाबा महाकाल लिख रहे थे। तभी इसी बीच सुलेमान अंसारी नामक इंस्टाग्राम यूजर सुलेमान-अंसारी-26-26 ने महाकाल मंदिर को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया। लाइव में ये पढ़ते ही लोग आक्रोशित हो गए और एफआईआर करने थाने पहुंच गए।

महाकाल मंदिर के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी सुलेमान अंसारी युवक के ऊपर बीएनएस की धारा 299 और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इसी दौरान सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा का कहना था कि आरोपी युवक के द्वारा अभद्र कमेंट किया गया था। अभी उसकी बारे में हम पता लगा रहे हैं।

जेल में बंद पति को छुड़वाने का दिया लालच...

शातिर युवक ने पड़ोसन को बनाया हवस का शिकार

सीहोर।

सीहोर जिले में महिला से रेप का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। एक युवक ने जेल में बंद पड़ोसी को छुड़वाने का लालच देकर उसकी पत्नी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दे दिया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

जिले के बुधनी थाना इलाके में एक महिला के साथ युवक ने रेप किया और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी युवक महिला का पड़ोसी है। जिसने महिला के पति को जेल से छुड़ाने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने का लालच दिया। महिला के विरोध करने पर जबर्दस्ती घर में घुसकर रेप किया। अपराध के बारे में किसी को बताने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

बुधनी एसडीओपी शशांक गुर्जर ने बताया कि, बुधनी थाना अंतर्गत रहने वाली पीडित महिला का पड़ोसी अनीस खान उर्फ अन्नू महिला के पति के साथ जेल में बंद था। कुछ समय पहले ही बाहर आया है। आरोपी नफीस खान उर्फ अन्नू ने पड़ोसी महिला के पति को जेल से बाहर निकलवाने का लालच देकर रेप किया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। अब आरोपी के खिलाफ जिला बंदर की कार्रवाई भी की जा रही है।

दिल्ली कोचिंग सेंटर जैसा हादसा धार में होते-होते टला



माही की गूंज, धार।

दिल्ली में कोचिंग सेंटर में पानी घुसने जैसी घटना सोमवार रात डही ब्लाक के गांव बड़वानिया के प्राथमिक स्तर के आदिवासी बालक आश्रम परिसर में हो जाती, लेकिन ग्रामीणों की सजगता से टल गई। सभी बच्चे पहली से पांचवीं कक्षा के हैं। आश्रम परिसर में करीब चार फीट तक नाले का पानी भरने से 42 बच्चों की जान आफत में आ गई। बचने के लिए कुछ बच्चे शौचालय की छत तो कुछ पलंग पर चढ़ गए। इसकी सूचना गांव में पहुंची तो राजू शर्मा, हकीम बोहरा, सुखलाल बघेल, बंटी शर्मा चार

पहिया वाहनों से जैसे-तैसे पहुंचे और एक-एक कर बच्चों को डेढ़ घंटे में निकाला। आश्रम में प्रभारी अधीक्षिका निधि जमरा करीब दो घंटे बाद पहुंची। दो चौकीदारों के भरोसे आश्रम परिसर को छोड़ दिया गया। एक-एक कर गोद में उठाकर लाए। डही तहसील में सोमवार रात तेज वर्षा हुई। इससे नाला ओवरफ्लो हो गया और रात करीब एक बजे आदिवासी बालक आश्रम परिसर के साथ ही कमरों तक नाले का पानी भर गया। चौकीदारों ने पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी।

टाच की रोशनी में पहुंचकर चारों ग्रामीण एक-एक बच्चे को गोद में उठाकर लाए। पानी कम होने पर सभी बच्चों को वाहन से राजू शर्मा के घर लाया गया। डही थाना प्रभारी डीके तड़वेलाल मौके पर पहुंच गए थे। निर्माणाधीन पुलिया बनी वजह सुसारी-डही मार्ग पर बड़वानिया में पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई निर्माण एजेंसी ने पुरानी पुलिया से कम रखी है। निर्माण की सामग्री और मलबे की वजह से पानी निकासी नहीं हो रही है, जिससे पानी आश्रम परिसर में भर गया।

इस्लामिक और मुगलकालीन प्रभाव 'शाही स्नान' का नाम बदलना चाहते हैं संत

स्नान' का नाम बदलना चाहते हैं संत

माही की गूंज, उज्जैन।

उज्जैन में हर 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है। इस बार महाकुंभ 2028 में उज्जैन के क्षिप्रा तट पर लगने वाला है। महाकुंभ की तैयारियों के बीच संतों ने 'शाही स्नान' शब्द पर आपत्ति जताते हुए नाम बदलने की मांग की है। कुछ संतों का कहना है कि यह शब्द इस्लामिक होने के साथ भारत पर मुगल साम्राज्य के प्रभाव को याद दिलाने वाला है। इसलिए इस शब्द को तुरंत हटाना चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने कहा है कि 13 अखाड़ों के साथ मिलकर इस संबंध में चर्चा की जाएगी और नाम बदलने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

उज्जैन में निकलने वाली महाकाल की 'शाही' सवारी को लेकर भी इसी तरह का विवाद उठा था। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शाही सवारी का नाम बदलकर 'राजसी सवारी' किया था। इसके बाद अब साधु संत उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ कुंभ में 'शाही स्नान' का नाम बदलवाना चाहते हैं। अखाड़ा परिषद का कहना है कि सभी महामंडलेश्वर से चर्चा के बाद नाम बदलने के प्रस्ताव को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने रखा जाएगा।

निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर श्लेषानंद महाराज ने कहा कि जिसका शासन होता है उसकी कार्यप्रणाली आ जाती



है यही। भारतवर्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ। मध्यकाल में आक्रांताओं का कुछ इस तरह प्रभाव पड़ा कि उनकी भाषा की व्यापकता दैनिक जीवन की तरफ बढ़ गई। यदि किसी शब्द से पराधीनता, आतंक का आभास होता है तो हटा देना चाहिए। मध्यप्रदेश शासन का एक अच्छा कदम है कि उन्होंने महाकाल की 'शाही सवारी' का नाम बदल कर 'राजसी सवारी' रख दिया ऐसे ही अब महाकुंभ में शाही स्नान का नाम बदलकर अमृत स्नान, दिव्य स्नान रखा जा सकता है। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुल शानंद महाराज ने कहा है कि शाही शब्द एक द्वारा दिया गया शब्द है। यह गुलामी को दर्शाता सनातन धर्म में ऐसे शाही शब्द को इस्लामिक शब्द है और मुगल आक्रांताओं

हटाना चाहिए। प्राचीन परंपरा बनी रहनी चाहिए। भारतवर्ष आजाद है इसलिए ऐसे जिससे गुलामी जैसा लगे।

किसी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे गुलामी जैसा लगे।

शहर में हड़दंगी चरितार्थ कर रहे तील का ताड़... राई का पहाड़...!

सावधान: अफवाहों से बिगड़ सकती है शहर की सेहत



माही की गूंज, झाबुआ।

वैसे तो हड़दंगियों का अपना कोई स्वरूप नहीं होता, मगर यह होते जरूर हैं। इन हड़दंगियों का वैसे तो किसी धर्म या समाज से कोई सरोकार नहीं होता लेकिन जब भी मौका मिलता है यह अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आते और हड़दंग मचाने के बाद गधे के सिर से सिंग की तरह गायब हो जाते हैं। मामला चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो यह हड़दंगी उसे तील का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जो मामला महज वातावरण से हल हो सकता हो उसके लिए बवाल खड़ा करना इन हड़दंगियों की फितरत में सुमार होता है। महज छोटे से मामले को यह हड़दंगी सिर्फ रोमांच या अपनी नेता गिरी चमकाने के लिए तूल पकड़ देते और माहौल को गर्मा देते हैं।

मगर अफसोस इस बात का भी है कि, जनता भी इन हड़दंगियों द्वारा मचाए गए बवाल को रोमांचित होकर देखती, सुनती और बातें करती है। जबकि इस तरह के किसी मामले को सरलता से अनदेखा किया जा सकता है। जिससे किसी भी तरह के हड़दंग को कमर टूट सकती है। हड़दंगियों द्वारा मचाए गए हड़दंग का ना तो कोई हाथ होता है और ना ही कोई पैर। तमाम तरह का हड़दंग मचाने के बावजूद न तो कोई एफआईआर दर्ज हो पाती है और ना ही कोई मामला दर्ज होता है। जो भी व्यक्ति इस हड़दंग

का शिकार होता है वह व्यक्ति बेकसूर होने के बावजूद अपमान झेलता, माफी मांगता है और मामला अंधे कुएं में चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर इस तरह का सारा हड़दंग होता किस लिए है...?

झाबुआ शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर बीते शुक्रवार को हुए एक घटनाक्रम ने कुछ ऐसी ही कहानी गढ़ दी। वाद-विवाद से शुरू हुआ एक मामला हड़दंगियों ने इतना गर्मा दिया कि पूरा शहर एक समय के लिए सक्ते में आकर खड़ा हो गया। माहौल खराब होने तक की अफवाहें शहर भर में गर्मा गईं। मामला कुछ ऐसा था कि, नवरात्र के एक बैनर को हटाने को लेकर यह विवाद हुआ था। राजू शर्मा नाम के व्यक्ति ने यह बैनर हटवाया था वह भी आयोजनकर्ता समिति से जुड़ा होना ही बताया जा रहा है। जिस जगह यह बैनर लगाया गया था वह शर्मा की निजी संपत्ति है। अगर सम्पत्ती के मालिक ने बैनर लगाने को लेकर कोई आपत्ती दर्ज करवाई थी तो आयोजन समिति के बाकी सदस्यों को इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। मगर अफसोस की ऐसा नहीं हुआ और मामले ने तूल पकड़ लिया। रात होते-होते सैकड़ों की संख्या में राजवाड़ा चौक पर लोग जमा हो गए। किसी ने यह अफवाह फैला दी कि, माताजी की तस्वीर वाला बैनर फाड़ दिया गया है। बस फिर क्या था...! हड़दंगियों को हड़दंग मचाने का एक मौका मिल गया...? यहाँ से तील का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। देखते

ही देखते यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ आकर खड़ी हो गई। इस भीड़ को यहाँ किसने आमंत्रित किया था...? यह कोई नहीं जानता। राजवाड़ा पर जमा हुई भीड़ में कौन और किस तरह के हड़दंगी जमा हुए या उनकी पहचान क्या थी, इसका कोई प्रमाण या सबूत किसी के पास नहीं है। मामला एक ही धर्म का होने के चलते प्रशासन ने भी इस पर किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई। मगर राजवाड़ा पर जमा हुई भीड़ में से ही हड़दंगियों ने सम्पत्ती मालिक के प्रतिष्ठान के बैनर व विज्ञापन के लिए लगे उनके प्रतिष्ठान के बैनर फाड़कर जला दिए। हालांकि माहौल को बिगड़ता देख यहाँ पुलिस अमला पहुंचा था। मगर वह किसी तरह की कार्रवाई ना करते हुए लोगों व हड़दंगियों को समझाईश देने में लग गया। भारी पुलिस बल के बीच आखिरकार शर्मा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और बैनर दोबारा लगाने के वादे के साथ मामला शांत हुआ। अगले दिन आयोजन का बैनर फिर से उसी जगह लगा दिया गया।

माफी और बैनर लगवाना था तो फिर हड़दंग क्यों...?

सवाल यह कि, जब शर्मा से माफी मंगवाकर वापस बैनर लगवाना ही था तो फिर इस तरह के हड़दंग की जरूरत ही क्या थी...? वह तो आयोजन समिति आपसी तालमेल बैठकर और शर्मा से चर्चा कर भी किया जा सकता था। हालांकि इस

सारे हंगामे के बाद हिंदूवादी संगठनों, व्यापारी और आयोजन करने वाले राजवाड़ा मित्र मंडल के लोगों के बीच समन्वय बैठक की गई। जिसमें बताया गया कि, जिस स्थान पर ऑर्केस्ट्रा का बैनर लगाया था, वहाँ हर साल माजाती के फोटो वाला पोस्टर लगता है। इसके लिए शर्मा ने सहमति दी थी। अगले दिन सभी लोगों की आपसी सहमति से हटाया गया पोस्टर वापस उसी स्थान पर लगवा दिया। अब आयोजन समिति के सदस्यों ने इस पूरे मामले को इस तरह मोड़ देते हुए कहा कि, इस घटना को लेकर ध्रामक जानकारी फैलाई गई। जिससे आयोजन समिति सहित व्यापारी की प्रतिष्ठान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर हर किसी के अपने-अपने तर्क हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की भी तय नहीं है।

किसने फैलाई अफवाह...?

आश्चर्य तो यह कि, महज एक अफवाह ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आयोजन समिति और तमाम तरह के धार्मिक संगठन इस अफवाह की चपेट में आ गए और शहर का माहौल गर्मा दिया और जिले सहित आस-पास चर्चा का विषय बना दिया। प्रश्न तो यह भी उठता है कि, अगर आयोजन समिति व व्यापारी की प्रतिष्ठान खराब करने के लिए अफवाह फैलाई गई तो वह कौन था जो इस अफवाह को फैलाने का कृत कर गया। इस को लेकर अब तक किसी तरह की कोई सफाई या

नाम किसी ने भी जाहिर नहीं किया है। भगवान न करे अगर बैनर फाड़ने वाला कोई दूसरे धर्म, जाति या समाज का होता तो महज एक अफवाह के चक्र में पूरे शहर का माहौल खराब हो जाता...!

अब होना तो यह चाहिए था कि, जिस व्यक्ति ने इस तरह की अफवाह को फैलाकर हड़दंग मचवा दिया आयोजन समिति, हिंदूवादी संगठन और प्रशासन उस सख्त को दूढ़ता और वही सजा देता जो एक हड़दंगी को दी जानी चाहिए। मगर चूंकि मामला एक ही धर्म का होने के चलते सभी ने इस तरह चुप्पी साध ली कि, मानो कुछ हुआ ही नहीं।

कहाँ है प्रशासन द्वारा बनाई गई शांति समिति...

यू तो प्रशासन हर बार त्योंहारों के पहले शांति समिति की बैठक करता रहा है। इन बैठकों में कौन-कौन और किस समाज के कितने लोग होते हैं यह आज तक किसी को पता ही नहीं है। जिला प्रशासन जिन शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक करता है सहज ही वह शहर में शांति बनाए रखने के लिए अग्रणी होते होंगे। मगर अफसोस की जब भी इस तरह का कोई मामला जिले में देखने को मिलता है, प्रशासन द्वारा बनाई गई इस शांति समिति के सदस्य गधे के सिंग की तरह गायब ही नजर आते हैं। जबकि शांति समिति की बैठकों में यह अधिकारियों से निकटता दर्शाने या चापलूसी

करने के लिए कुकुरमुत्तों की तरह जमा होते दिखाई पड़ते हैं। बैठकों के बाद इन शांति दूतों को दिया लेकर दूढ़ने से भी यह दिखाई नहीं देते।

सवाल यह भी उठता है कि, आखिर कौन है ये शांति समिति के सदस्य और कहाँ से आते और कहाँ चले जाते हैं। किस प्रक्रिया के तहत प्रशासन ने इन्हे शांति समिति में शामिल कर रखा है। अगर शहर में बिगड़ते माहौल को संभालने की क्षमता इन लोगों में नहीं है तो फिर प्रशासन किस बुनियाद पर इन्हे शांति समिति का सदस्य बनाता है। अगर प्रशासन द्वारा बनाई गई शांति समिति के सदस्यों में शहर की बिगड़ती फिजा को संभालने का हौसला और ताकत नहीं है तो फिर डूब मरना चाहिए प्रशासन और शांति समिति के उन तमाम सदस्यों को, जो अपने आपको शहर का शांतिदूत मानते हैं।

प्रशासन को रहना होगा सर्तक

आने वाले समय त्योंहारों का है और बीते शुक्रवार को हुई घटना ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं। हालांकि इस घटना का कारण अफवाहों को बताया जा रहा है, लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि, आने वाले त्योंहारों के माहौल में इस तरह की और कोई अफवाह नहीं उड़ सकती। इससे पहले की आने वाले त्योंहारों में हड़दंगी फिर किसी तरह की अफवाह उड़ा दे प्रशासन को सर्तक हो जाना चाहिए। वरना अफवाहों के चक्र में शहर का माहौल खराब हो जाएगा और प्रशासन मुह ताकता रह जाएगा।

विशेष जनसुनवाई: प्रेस कॉन्फ्रेंस में माही की गूंज के सवाल पर लगी कार्रवाई की मोहर

माही की गूंज, मेघनगर। इरफान शेख

जनता को न्याय एवं शासकीय योजनाओं के लाभ के लिए जिला स्तर पर शुरू की गई मध्यप्रदेश शासन की जनसुनवाई कार्यक्रम को जनता की सुविधा की दृष्टि से विकासखंड स्तर पर ले जाने वाली जिला कलेक्टर नेहा मीना ने इसी तारतम्य में मंगलवार को मेघनगर तहसील में विशेष जनसुनवाई की। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा सुबह 11 बजे जनसुनवाई की गई जो दोपहर तक चली।



जनसुनवाई में विभिन्न आम लोग अपनी समस्याओं की शिकायतों के आवेदन लेकर पहुंचे थे। ग्राम जामदा के निवासीयों द्वारा ग्राम जामदा की सड़क खराब होने से सड़क निर्माण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तो आवेदक रूपसिंह निवासी ग्राम पंचायत बड़ा घोसलिया में प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में बालक-बालिकाओं को बैठक व्यवस्था किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक पर्वत सिंह चौहान ग्राम पंचायत रम्भापुर में उनकी पत्नी का आंगनवाड़ी के पत्र पर चयन हुआ है आवेदक का गाली गलोच करने के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस तरह जनसुनवाई में कुल 108 आवेदन प्राप्त हुए जिससे कलेक्टर द्वारा उचित कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजा गया।

कलेक्टर ने दिखाई मानवता

जनसुनवाई में एक अत्यंत गरीब बुजुर्ग महिला कोकिला पंचाल अपने पैर का ऑपरेशन किए जाने हेतु मदद की गुहार लेकर कलेक्टर के पास पहुंची थी। जिस पर कलेक्टर ने मानवता दिखाते हुए उससे पेंशन मिलने के बारे के पूछ फिर उसे पेंशन, आयुषण योजना सहित शासन की समस्त योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु सीएमओ नगर

परिषद, स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। साथ ही जिला स्तर से भी उसे आर्थिक सहायता प्रदाय करने का आश्वासन दिया।

माही की गूंज के सवाल पर हुई कार्रवाई

जनसुनवाई के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में माही की गूंज संवाददाता ने मेघनगर उद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाली जहरीली हवा और जमीन में छोड़े जा रहे पानी और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का सवाल उठाया। माही की गूंज द्वारा कलेक्टर के सज्ञान में लाया गया कि, उद्योग 4 रुपए प्रति लीटर की दर होने से पैसा बचाने के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर के लिए अपना जहरीला

पानी भेज ही नहीं रहे हैं और अभी भी पानी जमीन में ही बहा रहे हैं। जिस से पूरे क्षेत्र का जल प्रदूषित हो चुका है साथ ही 32 करोड़ की नल जल योजना से शहर को मिलने वाला पानी भी दूषित हो चुका है। साथ ही उद्योगों को पर्यावरण संरक्षण के मापदंडों पर मिले अनापत्ती प्रमाण पत्रों की जांच करने, धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में लोक बाधा होने अधिकारियों के पास अधिकार होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम), 1974 की धारा 32 के उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई नहीं होने। जैसे कई जनहित के सवाल सवाल उठाए, जिन पर कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और शाम तक कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के पास 10 दिन में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए। जिससे ये सतत निगरानी रखी जा सके की कोन-कोन से उद्योग कितनी मात्रा में दूषित पानी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में भेज रहे हैं। इससे सभी उद्योग जहरीला पानी सीई टीपी प्लांट में भेजने को मजबूर होंगे और अपना जहरीला पानी क्षेत्र की जमीन में नहीं छोड़ पाएंगे जिस से शहर को जहरीले पानी से मुक्ति मिलेगी। बस शर्त यह की कलेक्टर के आदेश का पालन हो कर सीसी टीवी कैमरे लगाकर उस पर पुरी निगरानी रख अनियमिता होने पर त्वरित कार्रवाई हो।

जनसुनवाई के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेंद्रसिंह चौहान, अनुविभागीय अधिकारी राजव्व मेघनगर मुकेश सोनी, नगर परिषद मेघनगर के सीएमओ राहुल सिंह वर्मा, तहसीलदार मेघनगर ममता मिमरौट एवं नायब तहसीलदार मुदुला सचवानी सहित समस्त विभागों के तहसील एवं जिला अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

टपकती स्कूल छत, कक्ष पानी से तरबतर, खुले आसमान के नीचे बच्चों का भविष्य

मामला: कुकड़ीपाड़ा संकुल के अंतर्गत सादेड़ा प्राथमिक शाला का



माही की गूंज खवासा।

प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को देखते हुए नित नए प्रयास के साथ बच्चे स्कूलों में अधिक तौर पर आकर्षित हो इसी आशय के साथ जहाँ भवन नहीं है वहाँ भवन बनवाए जा रहे हैं। तो बच्चों का भविष्य देखते हुए सीएम व पीएम राइस स्कूलो का निर्माण भी करवाया जा रहा है। लेकिन जहाँ भवन नहीं है या जहाँ स्कूल भवन अपनी दुर्दशा पर आशु बहा रहे है वहाँ आज भी बच्चों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में जब भी बारिश आती है। तो स्कूलों की समस्या विकराल रूप ले लेती है। लेकिन विभाग के अधिकारी इस और कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जिसकी वजह से बच्चों को खुले आसमान के निचे बैठकर पढ़ाई हेतु परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। काफी पुराने भवन हो चुके हैं जिसमें अब पानी टपकने के साथ सरिया व मटेरियल नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं जगह तो सुदुर ग्रामों में भवन जमींदोश या जमींदोश जैसी स्थिति बन चुकी है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जु तक नहीं रेंग रही है। जब कोई बड़ी घटना होगी तब ही सायद शासन या प्रशासन अपने कार्य का टिंडोश पिटते नजर आये ये तय है। मिली जानकारी के

अनुसार कुछ ऐसा ही मामला कुकड़ीपाड़ा संकुल के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक विद्यालय सादेड़ा में भी सामने आया है। जहाँ 1998 का निर्माण करवाया गया था। शाला में अभी वर्तमान में 105 बच्चे दर्ज हैं, बताते हैं 2 कक्ष वाली इस स्कूल में पहली से लेकर पाँचवी तक के बच्चों को बिठाया जाता है। लेकिन अभी जैसे ही बारिश शुरू हुई तो बच्चों को बैठने वाले कमरे में पानी

से कई ग्रामीण अंचलों में आज भी बारिश के समय में बच्चों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।

ग्रामीणों ने संकुल प्रचार्य को दिया ज्ञापन

प्राथमिक विद्यालय सादेड़ा में टपक रहा स्कूल भवन में पानी को लेकर शाला प्रबंधन समिति व पालकों के साथ हिंदू युवा जनजाति संगठन के लोगों ने समस्या को देखते हुए कुकड़ीपाड़ा संकुल पर पहुंचकर अंकुल प्रचार्य को विज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि, जल्द से जल्द नए भवन का निर्माण करवाया जाए ताकी बच्चों को परेशानियों से ना गुजरना पड़े।

टपक रहा है जिससे स्कूल कक्ष पानी से तरबतर हो गए हैं। इसकी वजह से बारिश बंद होने पर शिक्षकों द्वारा बच्चों को बाहर खुले आसमान के निचे जमीन पर बिठाया जा रहा है। वहीं बारिश होने पर बच्चों को घर भेज दिया जाता है। बताते हैं शिक्षकों ने पूर्व में भी लिखित व मौखिक रूप से अधिकारियों को अवगत करवाया लेकिन आगे से पैसा नहीं आ रहा है यह कहकर अधिकारियों ने पक्ष झाड़ देते हैं। जिसकी वजह

जाए ताकी बच्चों को परेशानियों से ना गुजरना पड़े।

मामले में कुकड़ीपाड़ा संकुल के प्रभारी प्रचार्य लक्ष्मण कटारा ने बताया कि, मेरे पास ज्ञापन आया है, वहां बच्चों को वास्तव में काफी परेशानी हो रही है। रविवार रात्रि में भी काफी पानी गिरा इसकी वजह से स्कूल में पानी टपक रहा है। अभी वैकल्पिक व्यवस्था में बच्चों को बाहर बिठाया जा रहा है, मेरे पास आवेदन आया है मैं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दूंगा।